VI वित्तीय विनियमन एवं पर्यवेक्षण

भारत में बैंकिंग प्रणाली मोटे तौर पर वित्तीय संकट से अप्रभावित रही जबकि विकसित देशों में बहुत से बैंक और वित्तीय संस्थाएं फेल हो गईं अथवा उन्हें भारी भरकम सरकारी सहायता से इस संकट से उबारना पड़ा। बैंकिंग प्रणाली के लिए वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों ने 2008-09 के दौरान स्थिरता और सुदृढ़ता दर्शायी तथा प्रणाली का प्रत्येक बैंक पूंजी अपेक्षा के न्यूनतम विनियामक स्तर से ऊपर रहा। वैश्विक वित्तीय संकट की गंभीर बाह्य संक्रामकता को देखते तनाव परीक्षण के निष्कर्षों ने वित्तीय प्रणाली की आघात सहन क्षमता सूचित की। मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार, सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने बासेल II के तहत उपलब्ध सरल दृष्टिकोणों को अपना लिया। संकट-उपरांत परिवर्तन जो विनियामक एवं पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरी होंगे वे मौजूदा अंतरराष्ट्रीय सहमति पर आधारित होने के साथ-साथ भारत विशिष्ट संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता की सावधानीपूर्वक जांच परख करके किए जाएंगे। बासेल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन हेतु एक समय-सारणी अधिसूचित की गई है और प्रणालीगत दोषों पर नजर रखने और उन्हें दूर करने के लिए क्षेत्रों में सुधार भी साथ-साथ चलते रहे। इसके अलावा, जैसे ही यह संकट फैला रिज़र्व बैंक ने अनेक प्रतिचक्रीय उपाय किए जिन्होंने भारतीय बैंकिंग प्रणाली का उत्साह सतत बनाए रखा। इन उपायों ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार लाने में सहायता की।

VI.1 गंभीर वैश्विक वित्तीय संकट के बीच भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने असाधारण आघात सहनीयता दर्शायी। बढ़ते वित्तीय एकीकरण और वैश्वीकरण के बावजूद सब-प्राइम आस्तियों, जिन्होंने विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह संकट प्रारंभ किया, में भारत की बैंकिंग प्रणाली का कोई सीधा निवेश नहीं था और इस संबंध में बैंकों का जो भी अप्रत्यक्ष निवेश था, वह भी नगण्य था। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इस संकट की शुरुआत से काफी पहले ही रिज़र्व बैंक ने अनेक कदम उठाए थे जिन्होंने भारतीय बैंकिंग प्रणाली की आघात सहनीयता को मज़बूत करने में अपना योगदान दिया। इन कदमों में संवेदनशील क्षेत्र को बैंकिंग प्रणाली के निवेश को सीमित रखने संबंधी विवेकसम्मत विनियमन तथा प्रणाली की विभिन्न आस्तियों के जोखिम भारों को सही तरह से पुनः संतुलित करना शामिल है। आवश्यक प्रावधानीकरण के मानदंड निर्दिष्ट किए गए और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण हेतु *कैमल्स* मानदंडों पर सतत जोर देना जारी है। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति ने सितंबर 2008 के अंत के लिए एकल-कारक दबाव परीक्षण प्रारंभ किया जिससे यह पता चला कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली क्रेडिट गुणवत्ता, ब्याज दर और चलनिधि स्थितियों में भारी संभावित परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाले महत्वपूर्ण आघातों को सह सकेगी। यह आकलन किया गया था कि अत्यंत खराब परिस्थितियों में भी भारतीय बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर रहेगा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के प्रति भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के आघात सहने की क्षमता के बावजूद जब वैश्विक आर्थिक संकट ने घरेलू वृद्धि की संभावनाओं को धूमिल करना आरंभ किया, रिज़र्व बैंक को मजबूरन कई नीतिगत उपाय करने पड़े जिनका लक्ष्य तेज आर्थिक सुधार को सर्मथन देते हुए वित्तीय स्थिरता को संरक्षित रखना एवं संवर्धित करना था।

VI.2 बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के संबंध में 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा की गईं विनियामक एवं पर्यवेक्षी पहलें इस अध्याय में प्रस्तुत की गई हैं। बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा उसके अनुसार वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इन विभिन्न नीतिगत पहलों का एक खास पहलू यह है कि इन पहलों में से कुछ पहलें सतत नीतिगत प्रयासों का एक अंग थीं न कि उन घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप थीं जिनकी वजह से वैश्विक वित्तीय संकट का क्रम बन गया। विवेकसम्मत विनियमनों के अलावा बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा सुधारने, पर्यवेक्षण बढ़ाने और धनशोधन निवारण विषयक उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए गये थे।

VI.3 शहरी सहकारी बैंकों के लिए, सहमति ज्ञापनों और शहरी सहकारी बैंकों की व्यवस्था के लिए कार्यदलों के माध्यम से इस क्षेत्र हेतु विज़न दस्तावेज़ द्वारा निर्धारित किए गए पथ से मिलनेवाले लाभों की फसल काटने के उद्देश्य से और भी विनियामक उपाय किए गए थे। 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ने जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर अपने नियंत्रण का फोकस बनाए रखा।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए उत्पन्न होने वाली चलनिधि संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए ढेर सारे उपाय किए गए थे।

वैश्विक संकट से पूर्व किए गए उपाय

VI.4 गैर-बैंकिंग संस्थाओं के विनियमन को क्रमिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा रहा है और यह प्रक्रिया इस वैश्विक वित्तीय संकट के प्रारंभ होने से पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी। विनियमनकारी विवाचन को नियंत्रित करने के लिए विदेशी बैंकों के स्वामित्व वाली और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इस समूह अवधारणा के अंतर्गत लायी गयीं। प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के लिए एक बृहद विवेकसम्मत ढांचा स्थापित किया गया। बैंकिंग समूह का समेकित पर्यवेक्षण 2003 में प्रारंभ किया गया था और तब से इसको लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

VI.5 बैंक प्रवर्तित वित्तीय संगुटों (एफसी) की वृद्धि को सीमित रखने के लिए एकल वित्तीय सहायक संस्था में बैंकों के इक्विटी निवेश बैंक की प्रदत्त पूंजी और आरक्षितों के 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिए गए हैं और सकल निवेश प्रदत्त पूंजी और आरक्षितों के 20 प्रतिशत तक सीमित कर दिये गये हैं। बैंकों की गैर-बैंकिंग गतिविधियाँ भी कानून के द्वारा सीमित कर दी गई हैं और बैंकों द्वारा किए जाने वाले किसी भी महत्त्वपूर्ण रणनीतिक इक्विटी निवेश के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा।

VI.6 विवेकसम्मत विनियमनों को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है उठाए गए प्रमुख कदमों में शामिल हैं - बैंकों के पूंजी बाजार एक्सपोज़रों पर सीमाएं, शेयरों की जमानत पर अग्रिमों हेतु 50 प्रतिशत मार्जिन का निर्धारण, मांग मुद्रा बाजार में उधार लेने और देने पर सीमाएं, अंतरबैंक देयताओं पर सीमाएं और असूचीबद्ध और रेट न की गयी गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर प्रतिबंध। अवमानक और संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को क्रमिक रूप से सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा रहा है। पुनर्संरचित लेखों की फेअर वैल्यू में कमी के लिए प्रावधान करना अनिवार्य है और ट्रेडिंग निवल वृद्धि और बिक्री के लिए उपलब्ध बही को मान्यता देने की अनुमति नहीं है। बैंकों के मामले में लाभांश भुगतान अनुपात 40 प्रतिशत से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं है और लाभांश केवल चालू वर्ष के लाभ से ही अदा किया जा सकता है। हानिकर प्रोत्साहनों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिभूतिकृत लाभों को सामने-सामने बही में नहीं लिखा जा सकता है।

VI.7 नियंत्रक पूंजी की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूदा पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देशों में यह अपेक्षित है कि बैंकों की टियर-I पूंजी 31 मार्च 2010 तक कम से कम जोखिम भारित आस्तियों का 6 प्रतिशत होनी चाहिए। बाजार जोखिम के लिए टियर-III पूंजी प्रारंभ नहीं की गयी है क्योंकि यह अल्पावधिक है।

VI.8 इसके अलावा, 2004-05 से जब अत्यंत तेज ऋण वृद्धि थी, तेजी से बढ़ रहे अथवा संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे कि वाणिज्यिक स्थावर संपदा, उपभोक्ता ऋण और पूंजी बाजार) को बैंकों के एक्सपोज़र हेतु जोखिमभार और प्रावधान करना, यहां तक कि जब उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, को प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में 2005-06 से क्रमिक रूप से बढ़ा दिया गया। बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया गया कि वे अस्थायी प्रावधान बनाए रखें जिसे अपवादात्मक परिस्थितियों में आहरित किया जा सकेगा।

VI.9 अलग-अलग बैंकों के पास पर्याप्त चलनिधि बफर सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के लिए अनिवार्य था कि वे एसएलआर बनाए रखने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 25 प्रतिशत निवेश करें (नवंबर 2008 में घटाकर एनडीटीएल का 24 प्रतिशत किया गया)। अलग-अलग बैंकों की चलनिधि स्थिति की निगरानी करने और रिपोर्ट करने वाले ढांचे को 1-14 खंड (अर्थात अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन) के भीतर और अधिक सूक्ष्म चलनिधि अवधियां प्रारंभ करके सुधारा गया। सारणी 6.1 दर्शाती है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली लगातार स्वस्थ बनी हुई है।

सारणी 6.1 : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की स्थिति

मद	मार्च के अंत में		
	1998	2008	2009
1	2	3	4
सीआरएआर (प्रतिशत)	11.51	13.01	13.19
सकल अनर्जक अस्तियां (करोड़ रुपए में)	48,306	55,842	67,497
सकल अनर्जक अस्तियां (प्रतिशत)	14.78	2.39	2.42
निवल अनर्जक अस्तियां (करोड़ रुपए में)	23,013	24,891	30,924
निवल अनर्जक अस्तियां (प्रतिशत)	7.63	1.08	1.12
इक्विटी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	14.63	12.52	13.25
ब्याज स्प्रेड (प्रतिशत)	3.05	2.37	2.44

वैश्विक संकट के दौरान किए गए उपाय

VI.10 वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों में मोटे तौर पर पूंजी का प्रतिचक्रीय रूप से कम होना शामिल है और प्रावधानीकरण जो पर्याप्त रुपया/विदेशी मुद्रा चलनिधि का प्रावधान बढ़ा चुका है ताकि बैंक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियों के लिए उधार देना जारी रख सकें। इस अध्याय के बाद के पैराग्राफों में विवेकसम्मत उपायों की चर्चा विस्तृत रूप से की गई है। चलनिधि और क्रेडिट संवितरण से संबंधित उपायों पर संबंधित अध्यायों में चर्चा की गई है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए विनियामक ढांचा

VI.11 भारत की वित्तीय प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण हेतु समग्र संरचना में रिज़र्व बैंक का विनियामक एवं पर्यवेक्षी दृष्टिकोण वित्तीय संस्थाओं के एक व्यापक खंड तक फैला है जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और विभिन्न वित्तीय बाजार आते हैं। मार्च 2009 के अंत में 80[1] वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक ; 86 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; 1,721 शहरी सहकारी बैंक; 4 विकास वित्त संस्थाएं; 12,739 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जिसमें से 336 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जनता जमा राशियां स्वीकार करने/अपने पास रखने की अनुमति थी) और 18[2] प्राथमिक व्यापारी (पीडी) [जिसमें से 11 बैंक थे जो एक विभागीय गतिविधि, जिसे बैंक पीडी कहा जाता है, के रूप में प्राथमिक व्यापारी का कारोबार कर रहे थे और 7 गैर-बैंकिंग संस्थाएं थीं जिन्हें स्टैण्ड एलोन पीडी भी कहा जाता है] थे। वित्तीय पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य बना दिया गया है कि वह रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षणाधीन वित्तीय संस्थाओं का समन्वित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करे।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)

VI.12 नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस), रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी और विनियामक पहलों के पीछे मूल दिशा-निर्देशक शक्ति बना हुआ है। यह वाणिज्यिक बैंकों / शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण के निष्कर्षों तथा बैंकों के काम करने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे लेखों का समाधान, धोखाधड़ी निगरानी, विदेशी परिचालन और मासिक निगरानी के अंतर्गत बैंकों के संबंध में आवधिक रिपोर्टों की समीक्षा करता है। इसके अलावा बीएफएस व्यष्टि और समष्टि विवेकसम्मत संकेतकों, बैंकिंग संभावनाओं और ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण की भी समीक्षा करता है। यह अलग-अलग बैंकों और बैंकिंग प्रणाली के समग्र रूप से काम करने को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से अनेक निर्देश भी जारी करता है। बीएफएस ने जुलाई 2008 से जून 2009 के बीच की अवधि के दौरान 8 बैठकें कीं। इन बैठकों में, अन्य बातों के साथ-साथ 2008-09 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यनिष्पादन और वित्तीय स्थिति पर विचार किया गया। इसने 70 निरीक्षण रिपोर्टों (सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 27, निजी क्षेत्र के बैंकों की 16, विदेशी बैंकों की 20, स्थानीय क्षेत्र बैंकों की 4 और वित्तीय संस्थाओं की 3 रिपोर्टों) की समीक्षा की। 2008-09 के दौरान जिन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बीएफएस द्वारा चर्चा की गई उनका उल्लेख इस खंड में किया गया है।

VI.13 इस वैश्विक वित्तीय संकट को देखते हुए दागी आस्तियों में भारतीय बैंकों के निवेश तथा बैंकों के जोखिम प्रबंध और चलनिधि प्रबंध प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रारंभ किए गए विनियामक उपायों के कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली में मौजूद रक्षोपायों की जानकारी बीएफएस को दी गई थी। बीएफएस को सूचित किया गया था कि वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआइ) के एक अंग के रूप में बैंकों के निवेश संविभाग की गहन जांच की जा रही थी। बीएफएस ने मासिक आधार पर भारत में बैंकों के विदेशी परिचालनों के क्रेडिट डेरिवेटिव्स तथा अन्य निवेश संविभागों में बाजार दर पर अंकित करने (एमटीएम) से होनेवाली हानियों की निगरानी पर भी अपना फोकस बढ़ा दिया था (बॉक्स VI.1)।

VI.14 विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के साथ जुड़ी जोखिमों के संबंध में कुछ हलकों में हो रही चिंताओं की प्रतिक्रिया में कतिपय चुनिंदा बैंकों से, जो सिस्टम लेवल एक्सपोजर के टॉप एण्ड पर काम कर रहे थे, रिज़र्व बैंक द्वारा संरचित फॉर्मेटों में विस्तृत जानकारी मंगाई गयी थी।अन्य बातों के साथ-साथ 'योग्यता और उपयुक्तता' सिद्धांतों तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों के संबंध में इन बैंकों के साथ हुई वार्ता प्रकिया के आधार पर वित्तीय पर्यवेक्षण

[1] बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया सहित जिसने भारत में काम करना बंद कर दिया है और अपना काम समेट रहा है।

[2] इसमें लेहमैन ब्रदर्स फिक्स्ड इनकम सिक्यूरिटीज़ लिमिटेड शामिल नहीं है जिसे 16 सितंबर 2008 से प्राथमिक बाजार परिचालन करने से मना किया गया था।

बॉक्स VI.1
वैश्विक वित्तीय संकट और भारतीय बैंकिंग प्रणाली : बाजार दर पर अंकित करने (एमटीएम)से होनेवाली हानियों का मूल्यांकन

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आस्तियों के गिरते मूल्यों ने ऐसी आस्तियों में महत्वपूर्ण निवेश (एक्सपोज़र) के कारण बहुत से अंतरराष्ट्रीय बैंकों के तुलनपत्रों पर गंभीर तनाव पैदा किया। तुलनपत्र से इतर मदों में किए गए भारी निवेशों ने उनके तनाव स्तरों को और बढ़ा दिया। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक में यह जरूरी समझा गया था कि यदि जरूरत पड़े तो समय पर और पर्यवेक्षी हस्तक्षेप हेतु भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों के निवेशों की गुणवत्ता की खोज खबर रखी जाए। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा प्रमुख बैंकों के साथ, जिनके विदेशी परिचालन थे, उनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए चर्चा की। इस मूल्यांकन से पता चला कि इन बैंकों का अमरीका के सब-प्राइम बाज़ार में कोई भी सीधा निवेश नहीं है। तथापि, कुछ बैंकों का संरचित उत्पादों, जैसे कि संपार्श्विक ऋण देयताओं (सीडीओ) और अन्य निवेशों के रूप में अमरीकी सब-प्राइम बाज़ार में उनकी विदेशी शाखाओं और सहायक संस्थाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष निवेश था। क्रेडिट व्युत्पन्नियों में निवेशोंवाले कुछ बैंकों को क्रेडिट चूक स्वैप (सीडीएस) स्प्रेडों के फैलते जाने के कारण प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्यों से होनेवाली हानियों को अपनी बहियों में दर्ज करना पड़ा। तथापि, इस मूल्यांकन ने दर्शाया कि ऐसे निवेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे और ऐसे निवेशों से होनेवाली दैनिक बाजार मूल्य हानियों को पूरा करने के लिए बैंकों को पर्याप्त प्रावधान करने पड़े। इसके अलावा बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात का उच्च स्तर भी बनाए रखा। रिज़र्व बैंक के मूल्यांकन ने सुझाया कि प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्यों से जुड़ी बैंकिंग क्षेत्र की जोखिम सीमित और प्रबंधनीय दिखाई देती हैं।

चूंकि वित्तीय संकट बना रहा और अमरीका के बाहर भी फैलने लगा, अतः यह आवश्यकता महसूस की गई कि भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों के निवेशों की सतत निगरानी रखी जाए ताकि इन बैंकों के विदेशी परिचालनों की गुणवत्ता को प्रभावित करनेवाले विपरीत संकेतों का पता लगाया जा सके। तदनुसार, क्रेडिट डेरिवेटिव में एक्सपोज़र तथा आस्ति समर्थित वाणिज्यिक पत्रों (एबीसीपी), बंधक समर्थित प्रतिभूतियां (एमबीएस), आदि जैसी आस्तियों में भारतीय बैंकों के निवेशों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सितंबर 2007 में एक मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार संग्रह की गई सूचना का विश्लेषण दर्शाता है कि क्रेडिट व्युत्पन्नियों और अन्य निवेशों में अपनी शाखाओं के माध्यम से भारतीय बैंकों के एक्सपोज़र जून 2008 के स्तर से धीरे-धीरे नीचे आ रहे हैं। तथापि, प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्यों से होनेवाली उनकी हानियां धीरे-धीरे बढ़ रही हैं जो उनके निवेश संविभागों की आस्तियों के मूल्यों में हो रही सतत गिरावट के प्रभाव को दर्शाती हैं।

इस मूल्यांकन में प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्यों से होनेवाली हानियों के माध्यम से वैश्विक वित्तीय संकट का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय बैंकों के लिए नगण्य

चार्ट 1 : भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन - एक्सपोज़र और एमटीएम हानियां

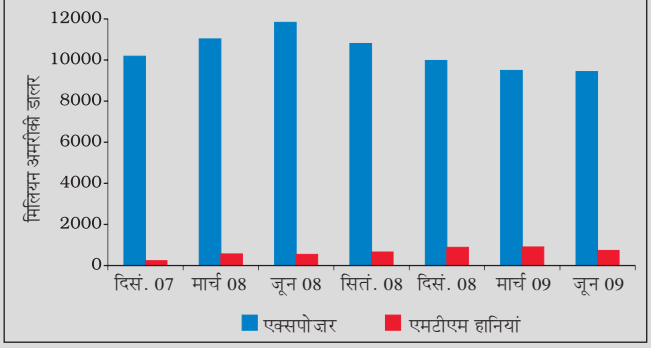

समझा जाने के बाद यह फोकस कमजोर हो रही वृद्धि की संभावनाओं से उत्पन्न होनेवाली संभावित आस्ति गुणवत्ता विषयक चिंताओं की ओर चला गया क्योंकि इस अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्र वैश्विक मंदी और तदनंतर घरेलू मांग में गिरावट के कारण गिर रही बाह्य मांग के प्रभाव के अधीन स्पष्ट रूप से आ गए। इन क्षेत्रों को बैंकों के एक्सपोज़र की आस्ति गुणवत्ता तनाव के अधीन समझी गई जो पर्यवेक्षी चिंता का विषय बन गया। अनर्जक आस्तियों में होनेवाली अनुमानित वृद्धि के कारण बैंकों की पूंजी पर्याप्तता पर पड़नेवाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सात ऐसे क्षेत्रों (रसायन/रंजक/पेंट,आदि, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, निर्माण (कांस्ट्रक्शन), आटोमोबाइल, लोहा और इस्पात तथा वस्त्र) में बैंकों के एक्सपोज़र, जिनका हिस्सा सकल अग्रिमों का 15.4 प्रतिशत और सकल अनर्जक आस्तियों का 12.2 प्रतिशत था, का एक क्रेडिट जोखिम तनाव परीक्षण किया गया था। ये तनाव परीक्षण दो परिदृश्यों यथा अनर्जक आस्तियों में 300 प्रतिशत और 400 प्रतिशत वृद्धियों के अंतर्गत एक ही साथ सात क्षेत्रों में किए गए थे। अनर्जक आस्तियों में वृद्धि को मौजूदा विनियामक पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों से मानते हुए इन अतिरिक्त प्रावधानीकरण आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया था ताकि समायोजित पूंजी पर्याप्तता का स्तर प्राप्त किया जा सके। इन तनाव परीक्षणों के परिणामों से निर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों की आस्ति गुणवत्ता में काफी बड़े क्षरण को सहने की बैंकों की अंतर्निहित क्षमता का पता चला। अनुमान है कि केवल दो बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिनका हिस्सा बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का लगभग 3 प्रतिशत है, दोनों ही तनाव परिदृश्यों के अधीन निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर से नीचे चला जाएगा।

इस प्रकार, प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्यों से होनेवाली हानियों के मूल्यांकन तथा तनाव परीक्षण के परिणामों ने वैश्विक आर्थिक संकट से उत्पन्न होनेवाले आघातों और चिंताओं से बैंकिंग प्रणाली की आघातसह क्षमता को पुनः प्रमाणित किया है।

बोर्ड (बीएफएस) के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट रखी गयी थी। इस संदर्भ में, मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार तनाव के विभिन्न परिदृश्यों यथा अनर्जक आस्तियों का स्तर बढ़ने और मानक, अवमानक तथा संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के अंतर्गत बैंकों की आघात सहने की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए भारत में वाणिज्यिक बैंकों के ऋण संविभाग निवेश के तनाव परीक्षण भी किए गए। यह विश्लेषण बैंकों के समग्र तथा अलग-अलग स्तर पर किए गए और इसके परिणामों ने दर्शाया कि चाहे जो परिदृश्य अपनाया जाए। सीआरएआर निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर से नीचे नहीं आएगा।

VI.15 इस संदर्भाधीन अवधि के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने वित्तीय संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण की गुणवता बढ़ाने हेतु अनेक निदेश जारी किये थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निदेश निम्नानुसार थे : (i) मजबूती और प्रभावोत्पादकता के लिए खुदरा ऋण निवेश संविभागों के प्रबंधन हेतु बैंकों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे सांख्यिकीय माडलों की रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता; (ii) शाखा चयन हेतु अतिरिक्त मानदंडों को शामिल करके वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के लिए शाखाओं के चयन हेतु फाइन ट्यूनिंग करना और इस प्रक्रिया को अधिक गतिशील बनाना; (iii) बैंकों की सहायक कंपनियों के लिए हामीदारी गतिविधियां निषेध करना जिन्हें प्रारंभ करने की बैंकों को स्वयं बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 के अनुसार अनुमति नहीं थी; (iv) बैंकों द्वारा बाहर से काम लेने की की गयी व्यवस्था के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के संबंध में पुष्टिकरण रिपोर्ट तथा अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना; (v) बैंकों को इस बात के लिए जागरूक करना कि अक्तूबर 2007 में जारी अनर्जक आस्तियों की बिक्री/खरीद हेतु निर्धारित किये गये सिद्धांत एक बोर्ड मानंदड के रूप में निर्दिष्ट किये गये थे और इनका अनुसरण केवल तभी किया जाना था जिस समय समझौता निपटान किया जाना हो और इनका कठोरता से अथवा प्रतिबंधक रूप से लागू करने का उद्देश्य नहीं था (अतएव, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों/तथ्यों तथा अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर और वे लिये गये इस निर्णय को न्यायोचित ठहरा सकें) और (vi) समेकन के प्रयोजन से सब्सिडियरी,एसोसिएट और संयुक्त उपक्रम में निवेश के समय अस्थायी अवधि के लिए अथवा अन्यथा निवेशों को धारित करने के उद्देश्य की रिकार्डिंग करना।

VI.16 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने विनियामक प्रावधानों/उद्देश्य तथा पर्यवेक्षी फोकस को बढ़ाने का लक्ष्य रखकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी अनुमोदन प्रदान किया। उनमें से कुछ निम्नानुसार थे: (i) जब कभी भी ऐसे मामले उठें, बैंकों के विलय/समामेलन की योजना में टियर I और टियर II लिखतों के संबंध में स्वीकार्य देयता की मात्रा निर्दिष्ट करना; (ii) 31 मार्च 2002 तक पैदा हुई बैंकों की कम मूल्य वाली बकाया नोस्ट्रो प्रविष्टियों की भारी संख्या को निपटाने के लिए उनके सहायतार्थ एकबारगी उपाय करने के साथ ही साथ बैंकों की उच्च मूल्य वाली प्रविष्टियां, जो अभी भी बकाया हैं, के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयासों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंकों को निदेश देना तथा समेकित न किये गये शेषों के बढ़ने को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का लीवरेज प्रदान करना।

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति

VI.17 भारत के वित्तीय क्षेत्र के बृहद स्व-मूल्यांकन का कार्य, विशेषरूप से जिसका फोकस स्थिरता के मूल्यांकन, तनाव परीक्षण और सभी वित्तीय मानकों और आचारसंहिताओं के अनुपालन पर था, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति (सीएफएसए) द्वारा सितंबर 2008 में प्रारंभ हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉ.राकेश मोहन ने की थी। अलग-अलग समय में श्री अशोक चावला, श्री अशोक झा, और डॉ. डी सुब्बाराव, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति(सीएफएसए) के सह-अध्यक्ष थे। मार्च 2009 में सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिलकर संयुक्त रूप से इस वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन की रिपोर्ट जारी की थी (बॉक्स VI.2)। इस वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन में परस्पर एक दूसरे को मजबूती से जोड़ने वाले तीन स्तंभों - वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन और तनाव परीक्षण : कानूनी संरचनागत और बाजार विकास संबंधी मुद्दों तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों और आचारसंहिता के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन के आधार पर एक दूरगामी तथा सच्चा दृष्टिकोण अपनाया गया था।

VI.18 समग्र रूप में, इस वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन ने पाया कि भारतीय वित्तीय प्रणाली अनिवार्यतः सुदृढ़ और आघातसह थी और यह कि प्रणालीगत स्थिरता कमोबेश रूप से मज़बूत थी। मोटे तौर पर भारत अधिकांश मानकों और आचार संहिताओं का अनुपालन कर रहा था हालांकि दिवालिया होने संबंधी कार्यवाहियों के समय पर कार्यान्वयन में कुछ विलंब देखे गये थे। इस वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन ने क्रेडिट और बाजार जोखिमों, चलनिधि अनुपात तथा परिदृश्य विश्लेषणों हेतु एकल-कारक तनाव परीक्षण भी किये थे। इन परीक्षणों ने दर्शाया कि बैंकिंग प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण अतिसंवेदनशीलता नहीं थी। यद्यपि बैंकों के तुलनपत्रों की शक्ति को देखते हुए वर्तमान आर्थिक मंदी के दौरान अनर्जक आस्तियां बढ़ सकती थीं किंतु यह वृद्धि इतनी अधिक नहीं थी कि वह प्रणालीगत जोखिमें पैदा कर सके।

VI.19 चूंकि जोखिम मूल्यांकन एक सतत प्रकिया है और समष्टि आर्थिक संबंधों तथा साथ ही दूसरे राउंड और संसर्गजन्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए तनाव परीक्षण करने जरूरी हैं। 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गयी घोषणा के फलस्वरूप प्रणालीगत अतिसंवेदनशीलता की निगरानी करने और उन्हें दूर करने के लिए एक अंतर-अनुशासनिक वित्तीय स्थिरता इकाई की स्थापना की गयी थी।

बॉक्स VI.2
वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की प्रमुख सिफारिशें

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (सीएफएसए) ने लगभग पांच वर्ष की मध्यावधि हेतु सिफारिशों के एक सेट के साथ भारत के वित्तीय क्षेत्र के संबंध में किया गया अपना मूल्यांकन प्रस्तुत किया। प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण मूल्यांकन और सिफारिशों का सार नीचे दिया जा रहा है।

समष्टि आर्थिक वृद्धि की निरंतरता

हाल ही की अवधि में भारत की वृद्धि में मूलतः, उच्च घरेलू मांग, उत्पादकता, ऋण वृद्धि और बचतों के उंचे स्तरों तथा निवेश ने योगदान दिया था। इस संकट के कारण अल्पावधि में इसकी समष्टि आर्थिक वृद्धि में धीमापन रह सकता है लेकिन मध्यावधि में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि बनी रहनेवाली थी। तथापि, भारत को कृषि वृद्धि को पुनरुज्जीवित करने, राजकोषीय सुधार पथ को फिर से पटरी पर लाने की कठिनाइयों को दूर करने, वित्तीय क्षेत्र के समेकन/विकास को जारी रखने और बुनियादी संरचना घाटे को दूर करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि पूर्णतर पूँजी खाता परिवर्तनीयता वांछनीय थी लेकिन यह समष्टि आर्थिक और बाज़ार गतिविधियों की सहवर्ती होनी चाहिए।

वित्तीय संस्थाएं

वाणिज्यिक बैंक

वित्तीय संस्थाओं के तनाव परीक्षण से पता चला कि बैंक सामान्यतः क्रेडिट, चलनिधि और बाज़ार जोखिमों के कारण होनेवाले आघातों को सह सकने की स्थिति में थे। हालांकि, बैंकों के तुलनपत्रों में बढ़ रही अतरलता के कारण चलनिधि जोखिम से संबंधित कुछ चिंताएं अवश्य थीं। अतएव, चलनिधि प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन ने जोखिम प्रबंधन को एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया है और यह नोट किया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा आरोपित प्रतिचक्रीय विवेकसम्मत मानदंडों ने हाल के समय में लाभान्वित किया है। इसने विशेषरूप से डेरिवेटिव्स के लेनदेनों के संबंध में सटीक लेखांकन और प्रकटीकरण मानदंडों की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित किया है।

सहकारी क्षेत्र

यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की वित्तीय स्थिति सुधरी थी, लेकिन इस क्षेत्र के लिए किए गए तनाव परीक्षणों से पता चला कि ये संस्थाएं क्रेडिट जोखिम के प्रति अतिसंवेदनशील बनी रहेंगी। ग्रामीण सहकारी समितियों के वित्तीय संकेतकों ने चिंता के कुछ कारण पैदा किये हैं। सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों के ऊपर दोहरे नियंत्रण को नोट करते हुए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन ने इन संस्थानों में बेहतर गवर्नेंस की आवश्यकता पर जोर दिया।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एन बी एफ सी)

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन ने नोट किया कि मोटे तौर पर संतोषजनक वित्तीय विवरणों के साथ वित्तीय बाजारों में गैर बैंकिंग की वित्तीय कंपनियां महत्वपूर्ण खिलाड़ी थीं। कार्पोरेट बांड बाजार का विकास इस क्षेत्र की निधीयन संबंधी बाधाओं को कुछ कम कर सकेगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विवेकसम्मत विनियमन को और सुदृढ़ बनाए जाने का भी सुझाव दिया गया था।

आवास वित्त कंपनियां (एच एफ सी)

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय आवास मूल्य सूचकांक और एक आवास प्रारंभ सूचकांक आवास वित्त कंपनियों के बढ़ते और महत्वपूर्ण खंड की प्राथमिकताएं थीं।

बीमा क्षेत्र

बीमा क्षेत्र के और विकास हेतु वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन ने अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया था कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की पर्यवेक्षी शक्तियां बढ़ाई जानी चाहिए और समूहव्यापी पर्यवेक्षण हेतु एक कारगर नीति लागू की जानी चाहिए।

वित्तीय बाजार

इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजार अपने तत्संबंधित डेरिवेटिव खंडों के साथ कालांतरण में पर्याप्त रूप से गहन और तरल बन गये है तथा वर्षों के दौरान घरेलू बाजार एकीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। तथापि, क्रेडिट डेरिवेटिव बाजारों को अभी भी महत्वपूर्ण तरीके से उड़ान भरनी है। यद्यपि कार्पोरेट बैंकों के प्राथमिक बाजार में निर्गमों में वृद्धि दिखाई दी थी लेकिन द्वितीयक बाजार उस हिसाब से अभी भी विकसित नहीं हुआ है।

वित्तीय बुनियादी संरचना

विनियामक ढांचा

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति ने महसूस किया कि कई विनयामकों की मौजूदगी भारत में वित्तीय विकास के मौजूदा चरण के अनुरूप थी लेकिन नियंत्रणकारी समन्वयन में और सुधार लाने की आवश्यता पर बल दिया गया। वित्तीय स्थिरता के हित में रिज़र्व बैंक को वित्तीय संगुटों के संबंध में पर्याप्त पर्यवेक्षी शक्तियों तथा निगरानी कार्यों से लैस किया जा सकता है।

चलनिधि बुनियादी संरचना

तिमाही कर भुगतानों से उत्पन्न होने वाली चलनिधि और मांग मुद्रा दरों की अस्थिरता को समाप्त करने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं विकसित की जानी चाहिए। असंपार्श्विकीकृत तरीके से रिज़र्व बैंक के पास केन्द्र सरकार के अधिशेष शेषों की नीलामी शुरू करने पर विचार किया जा सकता है हालांकि इसके लिए उचित सावधानी बरतनी होगी।

भुगतान और निपटान बुनियादी संरचना

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान बुनियादी संरचना के मौजूदा कम उपयोग को टेक्नोलॉजी उपयोग से ग्राहकों के लिए उपयोग हेतु सुविधाओं को और अधिक आसान बनाने के उद्देश्य से बढ़ाया जा सकेगा और इस प्रकार इस बुनियादी संरचना का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा और अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय समावेशन हासिल किया जा सकेगा।

अन्य

इस समिति ने अन्य विषयों पर चर्चा के अलावा दिवालिया विषयक व्यवस्था कार्पोरेट गवर्नेंस और सेफ्टी नेट पर भी चर्चा की।

सामाजिक - आर्थिक संदर्भ में विकास के मुद्दे

वित्तीय क्षेत्र के स्थिरता मूल्यांकन को सामाजिक-आर्थिक संदर्भ के व्यापक विकासात्मक पहलुओं की समस्याओं का भी निवारण करना चाहिए जो सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं और वित्तीय स्थिरता पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते है। वित्तीय समावेशन आर्थिक वृद्धि के प्रमुख निर्णायक तत्वों में एक है। उच्च आर्थिक वृद्धि और बुनियादी संरचना इसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समता के साथ वृद्धि का उद्देश्य प्राप्त करने के उद्देश्य से यह अनिवार्य था कि वित्तीय समावेशन के साथ-साथ बुनियादी संरचना का विकास किया जाए ताकि ऋण और अवशोषण क्षमता सुसाध्य बने और बढ़े।

वाणिज्यिक बैंक

परिचालन संबंधी गतिविधियां

VI.20 वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय बैंकों ने विदेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाना जारी रखा। जुलाई 2008 और जून 2009 के बीच भारतीय बैंकों ने विदेश में 20 शाखाएं / सहायक कंपनियां / प्रतिनिधि कार्यालय खोले (सारणी 6.2)। जून 2009 के अंत में 221 कार्यालयों (141 शाखाओं, 52 प्रतिनिधि कार्यालय, 7 संयुक्त उपक्रम और 21 सहयोगी संस्थाओं) के नेटवर्क के साथ 52 देशों में 20 भारतीय बैंकों (सरकारी क्षेत्र के 14 और निजी क्षेत्र के 6 बैंकों) ने विदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। 2008-09 के दौरान अनेक विदेशी बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यालय खोले (सारणी 6.3)। जून 2009 के अंत में 293 शाखाओं के साथ भारत में 32 विदेशी बैंक कार्य कर रहे थे। इसके अलावा 43 विदेशी बैंक अपने प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से भी भारत में कार्य कर रहे थे। दिनांक 30 जून 2009 की स्थिति के अनुसार पूरे भारत में 73 बैंक समापनाधीन थे। समापन कार्यवाहियों को शीघ्र पूरा करने से संबधित मामले पर सरकारी/न्यायालय परिसमापकों के साथ बातचीत की जा रही है।

विनियामक पहलें

VI.21 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए नीतिगत उपाय बैंकिंग प्रणाली के विवेकसम्मत मानकों के सतत मज़बूत बनाने के जुड़वां उद्देश्यों से प्रेरित थे ताकि इसे और अधिक आघातसह बनाया जा सके और उन्हें ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित करते हुए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा सके तथा अर्थव्यवस्था में मंदी से लड़ने के लिए सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय उपायों को संतुलित करने के लिए एक प्रतिचक्रीय विवेकसम्मत व्यवस्था दी जा सके।

बासेल II का कार्यान्वयन

VI.22 भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों और भारत के बाहर अपनी परिचालनीय मौजूदगी वाले भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से बासेल II ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध सरल दृष्टिकोणों को अपना लिया। अन्य वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) ने भी 31 मार्च 2009 से इन दृष्टिकोणों को अपना लिया। इस प्रकार, क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनीय जोखिम के लिए मौलिक संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (बासेल II ढांचे के अंतर्गत थोड़ा संशोधन किए गए अनुसार) भारत में बैंकों के लिए कार्यान्वित किया गया है। जोखिम प्रबंधन ढांचे के आवश्यक उन्नयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा पूंजी दक्षता जो बासेल II के अंतर्गत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों के अंगीकरण से बैंकों को मिलने की संभावना है और इस संबंध में उभरती अंतरराष्ट्रीय

सारणी 6.2 : जुलाई 2008 और जून 2009 के बीच विदेश में खोले गए भारतीय बैंकों के कार्यालय

	बैंक का नाम	उपस्थिति का प्रकार	देश	स्थान
	1	2	3	4
1.	आंध्रा बैंक	प्रतिनिधि कार्यालय	अमरीका	न्यू जर्सी
2.	बैंक ऑफ बड़ौदा	शाखा	चीन	ग्वांगझाऊ
3.	बैंक ऑफ इंडिया	शाखा	कंबोडिया	नोम पेन्ह
4.	बैंक ऑफ इंडिया	प्रतिनिधि कार्यालय	संयुक्त अरब अमीरात	दुबई
5.	केनरा बैंक	शाखा	संयुक्त अरब अमीरात	दुबई
6.	कार्पोरेशन बैंक	प्रतिनिधि कार्यालय	संयुक्त अरब अमीरात	दुबई
7.	कार्पोरेशन बैंक	प्रतिनिधि कार्यालय	हांगकांग	हांगकांग
8.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	प्रतिनिधि कार्यालय	संयुक्त अरब अमीरात	दुबई
9.	भारतीय स्टेट बैंक	शाखा	मलदीव	हिताडू
10.	भारतीय स्टेट बैंक	शाखा	सिंगापुर	लिटल इंडिया
11.	भारतीय स्टेट बैंक	शाखा	सिंगापुर	जुरांग ईस्ट
12.	भारतीय स्टेट बैंक	शाखा	सिंगापुर	अं मो कियो
13.	भारतीय स्टेट बैंक	शाखा	सिंगापुर	मरीन परेड
14.	पंजाब नैशनल बैंक	शाखा	हांगकांग	कोवलून
15.	पंजाब नैशनल बैंक	प्रतिनिधि कार्यालय	नार्वे	ओस्लो
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	प्रतिनिधि कार्यालय	ऑस्ट्रेलिया	सिडनी
17.	एचडीएफसी बैंक लि.	शाखा	बहरीन	मनामा
18.	एचडीएफसी बैंक लि.	प्रतिनिधि कार्यालय	केन्या	नैरोबी
19.	आइसीआइसी बैंक लि.	प्रतिनिधि कार्यालय	संयुक्त अरब अमीरात	अबू धाबी
20.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	प्रतिनिधि कार्यालय	संयुक्त अरब अमीरात	दुबई

सारणी 6.3 : जुलाई 2008 और जून 2009 के बीच भारत में खोले गए विदेशी बैंकों के कार्यालय

	बैंक का नाम	उपस्थिति का प्रकार	स्थान
	1	2	3
1.	डीबीएस बैंक लि.	शाखा	पुणे
2.	डीबीएस बैंक लि.	शाखा	बेंगलूर
3.	डीबीएस बैंक लि.	शाखा	चेन्नै
4.	डीबीएस बैंक लि.	शाखा	कोलकाता
5.	डीबीएस बैंक लि.	शाखा	नाशिक
6.	डीबीएस बैंक लि.	शाखा	मुरादाबाद
7.	डीबीएस बैंक लि.	शाखा	सालेम
8.	डीबीएस बैंक लि.	शाखा	सूरत
9.	ड्यूश बैंक	शाखा	सालेम
10.	ड्यूश बैंक	शाखा	वेल्लोर
11.	ड्यूश बैंक	शाखा	पुणे
12.	फर्स्ट रैंड बैंक लि.	शाखा	मुंबई
13.	डीएनबी नॉर बैंक	प्रतिनिधि कार्यालय	मुंबई
14.	केएफडब्ल्यू आइपेक्स बैंक जीएमबीएच	प्रतिनिधि कार्यालय	मुंबई

प्रवृत्ति के साथ यह वांछनीय समझा गया कि भारत में इन उन्नत दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन हेतु एक समय सीमा निर्दिष्ट की जाए (सारणी 6.4)। इससे बैंकों को क्रेडिट जोखिम और परिचालनीय जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए अंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) के लिए अंगीकरण हेतु योजना बनाना और उसके लिए तैयार होना आसान हो सकेगा।

VI.23 बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उक्त समय सूची के अनुसार बासेल II दस्तावेज में परिकल्पित मानदंडों के आलोक में उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक मूल्यांकन प्रारंभ करें और अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से यह निर्णय लें कि क्या वे किसी भी उन्नत दृष्टिकोण को अपनाना चाहेंगे। इन दृष्टिकोणों को अपनाने का निर्णय लेने वाले बैंकों को सूचित किया गया था कि वे आवश्यक अनुमोदन हेतु रिज़र्व बैंक से यथा समय उक्त निर्दिष्ट समय सूची के अनुसार संपर्क करें। यदि बैंक के आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम यह दर्शाते है कि वह पूर्व लिखित तारीखों तक उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेतु आवदेन करने की स्थिति में नहीं है तो वह अपनी तैयारी के आधार पर बाद की कोई यथा योग्य तारीख चुन सकता है। बैंकों को अन्य जोखिम श्रेणियों के लिए अपेक्षाकृत सरल दृष्टिकोणों को अपनाना जारी रखते हुए अपनी तैयारी के अनुसार एक या एक से अधिक जोखिम श्रणियों के लिए उन्नत दृष्टिकोणों को उनके स्व-विवेक पर अपनाने का विकल्प रहेगा तथा सभी जोखिम श्रेणियों के लिए एक साथ उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाना अनिवार्य नहीं होगा। तथापि, बैंकों को किसी भी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन लेना होगा।

जोखिम प्रबंधन

VI.24 मौजूदा संकट को देखते हुए सामान्य वितरण पर आधारित जोखिम प्रबंध मॉडल तेजी से बढ़ती घटनाओं के साथ सामंजस्य बिठा पाने में अपर्याप्त पाये गये थे। व्यापक रूप से विश्वास किया जाता है कि विधिवत बनाए गये तनाव परीक्षणों में समाई हुई अधिक सुदृढ़ जोखिम प्रबंध प्रणालियां लीवरेज के

सारणी 6.4 : भारत में उन्नत दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन हेतु समय सीमा

दृष्टिकोण	रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करने की शीघ्र तिथि	रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन देने की संभावित तिथि
क. बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए)	1 अप्रैल 2010	31 मार्च 2011
ख. परिचालनीय जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए)	1 अप्रैल 2010	30 सितंबर 2010
ग. परिचालनीय जोखिम के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014
घ. ऋण जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण (आधार एवं उन्नत आइआरबी)	1 अप्रैल 2012	31मार्च 2014

इकट्ठा होने से बचाव करने में सहायता कर सकती थीं जो बर्दाश्त से बाहर हो गया था। इस प्रकार, ऐसी घटनाएं फिर से घटने को रोकने तथा राष्ट्रीय और वैश्विक वित्तीय स्थिरता योजना को संरक्षित करने के लिए कल्पनाप्रसूत तनाव परीक्षण अभ्यासों को शामिल करके जोखिम प्रबंध प्रणालियों/माडलों को सुदृढ़ बनाने की अनिवार्य आवश्यकता है (बॉक्स VI.3)।

अनर्जक आस्ति प्रबंधन

VI.25 अनर्जक आस्तियों के समाधान हेतु बैंकों के लिए उपलब्ध तीन कानूनी विकल्पों यथा वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002), ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी)

बॉक्स VI.3
जोखिम प्रबंधन: तनाव परीक्षण की भूमिका

तनाव परीक्षण असंख्य और तरह-तरह के संभाव्य अनुप्रयोगों वाला एक बहु-आयामी जोखिम प्रबंधन औजार है। इसमें बदलती गंभीर अपवादात्मक किंतु सत्याभासी परिदृश्यों में बैंक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार की तरह-तरह की तकनीकों का प्रयोग इसमें शामिल है। इस तनाव परीक्षण के निष्कर्षों से दूरगामी निर्णय लेने में सहायता मिल सकेगी।

वैश्विक रूप से, बैंक अपने जोखिम प्रबंध ढांचे के लिए सांख्यिकीय माडलों जैसे कि जोखिम पर मूल्य (वीएआर) मॉडलों पर क्रमिक रूप से निर्भर होते जा रहे हैं। तथापि, यह मॉडल मुख्य रूप से सीमित ऐतिहासिक आंकड़ों और सरल कल्पनाओं पर आधारित है। अतः, ये अचानक होने वाली, नाटकीय, उच्च मात्रा वाली तथा लंबी अवधि वाली घटनाओं को पकड़ नहीं सकते हैं। जोखिम प्रबंधन मॉडलों की कमियों से पार पाने के लिए तनाव परीक्षण को 'पुच्छ जोखिम' अर्थात असामान्य बाजार स्थितियों में हानियों के जोखिम को परिमाण रूप में व्यक्त करने के लिए एक सहायक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है और मॉडलिंग की कल्पनाओं, विशेषकर वे जो अस्थिरता और अन्योन्य संबंधों से संबंधित हैं, का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह विशेष रूप से अनुकूल आर्थिक और वित्तीय स्थितियों की दीर्घ अवधियों के उपरांत महत्त्वपूर्ण है जब नकारात्मक स्थितियां धुंधली हो रही स्मृति, आत्मसंतोष और उपेक्षा के साथ-साथ जोखिम को कम मूल्यांकन की ओर ले जा रही हों। विस्तार की अवधियों के दौरान यह एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरण भी है जब नवोन्मेष नये उत्पादों की ओर ले जाते हैं जो तेजी से बढ़ सकेंगे और जिनके लिए सीमित अथवा बिना हानिवाले आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं।

तनाव परीक्षण निम्नलिखित कारणों से बैंक के जोखिम प्रबंधन ढांचे तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपयोगी है:

- यह तंगी की स्थितियों में बैंक के जोखिम एक्सपोजर का अनुमान लगाने के लिए एक साधन उपलब्ध कराता है और इसे ऐसी जोखिमों से निपटने के लिए उचित रणनीतियां विकसित करने अथवा चुनने में समर्थ बनाता है।
- यह बहु कारोबारी लाइनों या यूनिटों के बीच छुपी हुई जोखिमों तथा जोखिम संकेंद्रणों की पहचान करने में बैंक की सहायता करता है।
- यह बैंक को उन जोखिमों का, जो उसके ऊपर आ सकती हैं, दूरगामी आकलन करके, उसके जोखिम प्रोफाईल को बेहतर स्वरूप प्रदान करने में समर्थ बनाता है तथा कालांतर में ऐसे प्रोफाईल में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी सुसाध्य बनाता है।
- यह निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन को यह पता लगाने की अनुमति देता है कि क्या बैंक का जोखिम एक्सपोजर या प्रोफाईल उसकी जोखिम भूख और जोखिम सहनशीलता के साथ मेल खाता है।
- यह बैंक प्रबंध तंत्र को कारोबारी रणनीति, जोखिम प्रबंध और चलनिधि को एकीकृत करने तथा पूंजी योजना निर्णयों में बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करने में समर्थ बनाता है।

किसी भी जोखिम प्रबंधन ढांचे में तनाव परीक्षण के महत्त्व पर विचार करते हुए बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति ने जनवरी 2009 में 'प्रिन्सिपल्स फॉर साउंड स्ट्रेस टेस्टिंग एण्ड सुपरविज़न' शीर्षक से एक परामर्शी पेपर जारी किया। इस पेपर में बैंकों में गवर्नेंस, तनाव परीक्षण कार्यक्रमों को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने के कार्यक्रम हेतु ठोस सिद्धांत प्रस्तुत किये गये हैं। इसमें कहा गया है कि तनाव परीक्षण बैंक की समग्र जोखिम गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन संस्कृति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तनाव परीक्षण निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के रणनीतिक कारोबारी निर्णयों सहित प्रबंधन के उचित स्तर पर लिये गये निर्णय को प्रभावित करने वाले तनाव परीक्षण विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के साथ कार्रवाई करने योग्य होने चाहिए। इसके प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए तनाव परीक्षण कार्यक्रम में निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंध तंत्र का शामिल होना अनिवार्य है। बैंक को एक फर्म-व्यापी तनाव परीक्षण कार्यक्रम चलाना चाहिए जो जोखिम की पहचान करने तथा नियंत्रण को बढ़ावा देता हो और अन्य जोखिम प्रबंधन साधनों (टूल) को एक पूरक जोखिम दृष्टिकोण प्रदान करता हो तथा पूंजी और चलनिधि प्रबंधन को बेहतर बनाता एवं आंतरिक और बाह्य संप्रेषण को बढ़ाता हो।

यद्यपि, तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण किसी भी जोखिम प्रबंध ढांचे में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि परिदृश्यों का व्यक्तिपरक चयन, मॉडल तैयार करनेवाले का कौशल, संबंधित घटनाओं की अनिश्चित संभाव्यताएं और कम संख्या में मापदंडों का उपयोग। अतः, तनाव परीक्षण अपने आप जोखिम प्रबंध की सभी कमजोरियों को दूर नहीं कर सकता लेकिन व्यापक दृष्टिकोण के एक अंग के रूप में सामयिक नीतिगत हस्तक्षेप करके अलग-अलग बैंकों और वित्तीय प्रणाली की आघात सहने की क्षमता को सुदृढ़ बनाने में इसकी उपयोगी भूमिका है।

संदर्भ :

1. बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न (2009), ''प्रिन्सिपल्स फॉर साउंड स्ट्रेस टेस्टिंग प्रैक्टिसेस एण्ड सुपरविज़न'', *बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंटस्*, 20 मई.
2. हाल्देन ए.जी.(2009). ''व्हाय बैंक्स फेल्ड द स्ट्रेस टेस्ट'', *बैंक ऑफ इंग्लैण्ड* (भाषण), 13 फरवरी.
3. डुगाय पी. (2009). ''फाइनान्शियल स्टेबिलिटी थ्रू साउंड रिस्क मैनेजमेंट'', *बैंक ऑफ कनाडा* (टिप्पणी), 8 जनवरी.

और *लोक अदालतों* से न्याय निर्णयन और विवादित राशियों की वसूली में वृद्धि की दिशा में स्थिर गति से कदम बढ़े हैं (सारणी 6.5)।

अग्रिमों की पुनर्संरचना

VI.26 संशोधित कंपनी ऋण संरचना (सीडीआर) व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों की तर्ज पर अग्रिमों [कंपनी ऋण संरचना व्यवस्था के अलावा] की पुनर्संरचना के संबंध में मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा करने और उन्हें तदनुरूप बनाने के संबंध में कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार अगस्त 2008 में अग्रिमों की पुनर्संरचना विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्त संशोधित किए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य विशेषताएं जो समान रूप से सभी क्षेत्रों पर लागू हैं, निम्नानुसार हैं: (i) पुनर्संरचना के संबंध में आस्ति वर्गीकरण की स्थिति को बनाए रखना नियम के बजाय एक अपवाद है। तथापि, यह तीन श्रेणियों के उधारकर्ताओं यथा उपभोक्ता और वैयक्तिक अग्रिम, पूंजी बाजार एक्सपोज़र के रूप में वर्गीकृत अग्रिम और वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़रों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों को छोड़कर सभी उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जो विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं (बाद में किए गए आशोधनों के अधीन); (ii) यह सीडीआर व्यवस्था उन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी जो औद्योगिक अग्रिमों से इतर गतिविधियों में संलग्न हैं तथा यह उन्हीं शर्तों के अधीन जो औद्योगिक अग्रिमों पर लागू हैं। इस सीडीआर व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्संरचना हेतु संस्थागत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं है; (iii) लंबे अधिस्थगन देने के सामने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में नैसर्गिक रूप से बने हुए कतिपय जांच बिंदुओं का ध्यान रखते हुए अधिस्थगन के साथ आस्ति वर्गीकरण लाभ का लिंकेज समाप्त कर दिया गया है; (iv) बैंकों को अकेले ब्याज दर में कमी से उत्पन्न होने वाली आर्थिक हानि की तुलना में ऋणों की फेअर वैल्यू (मूल धन और ब्याज दोनों के नकद प्रवाह) में कमी के लिए प्रावधान करना चाहिए जैसा कि अब तक किया जाता था; 5 प्रतिशत की सपाट दर पर फेअर वैल्यू में कमी की गणना के लिए सरल व्यवस्था उन उधारकर्ताओं उपलब्ध होगी जिनका बकाया 1 करोड़ रुपए से कम है; (v) निधीयित ब्याज वाले मीयादी ऋण (एफआइटीएल)/ऋण अथवा इक्विटी लिखत द्वारा प्रदर्शित अप्राप्त आय को लाभ-हानि लेखे में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि इसे 'फुटकर देयताएं लेखा (ब्याज पूंजीकरण)' [एसएलए (आइसी)] नामक लेखे में जमा किया जाना चाहिए। एफआइटीएल अथवा ऋण/इक्विटी लिखतों की बिक्री/मोचन से प्राप्त राशि के मामले में केवल चुकौती पर प्राप्त यह राशि लाभा-हानि लेखे में स्वीकार की जाएगी, जबकि उसी समय एसएलए (आइसी) में शेष राशि कम की जाएगी; (vi) 'पुनसंरचना के पश्चात एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषप्रद कार्यनिष्पादन', 'दुबारा पुनर्संरचना' और 'जमानती अग्रिम' पारिभाषिक वाक्यांशों की व्याख्या की गई थी; (vii) बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में, आस्ति वर्गीकरण लाभ के लिए पात्र बनने के उद्देश्य से वह अवधि जिसके भीतर व्यवहार्यता स्थापित की जानी थी, 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गयी और वह अवधि जिसके भीतर यह ऋण चुकाया जाना था 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गयी। आवास ऋणों के मामले में हर बैंक को यह अनुमति दी गयी थी कि वह अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से पुनर्संरचित ऋणों हेतु अपेक्षित चुकौती अवधि पर निर्णय ले सकता है; (viii) अग्रिमों की पुनर्संरचना के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विशेष

सारणी 6.5 : अनर्जक आस्तियों का समाधान
(मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार संचयी)

((राशि करोड़ रुपए में)

समाधान व्यवस्था	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
सरफेसी	नोटिसें जारी की गई		वसूली		समझौता प्रस्ताव	
	3,41,756	68,127	2,10,641	19,396	79,277	11,249
ऋण वसूली प्राधिकरण	वाद दायर मामले		अधिनिर्णीत मामले		वसूली	
	81,173	1,30,508	49,033	65,585	उ.न.	24,889
लोक अदालत	वाद दायर मामले		निर्णीत मामले		वसूली	
	17,12,958	11,763	4,55,423	2,220	3,75,858	982

उ.न. : उपलब्ध नहीं

आस्ति वर्गीकरण लाभ पाने के लिए निर्दिष्ट शर्तों में से एक शर्त यह है कि यह लेखा पूरी तरह से जमानती होना चाहिए। यह शर्त बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में लागू नहीं होगी बशर्ते इन परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाला नकद प्रवाह इस अग्रिम की चुकौती के लिए पर्याप्त हो। वित्तपोषक बैंक के पास इन नकद प्रवाहों को निलंब (एस्क्रो) करने के लिए एक उचित व्यवस्था रहे और इन नकद प्रवाहों पर स्पष्ट और कानूनी रूप से पहला दावा रहे।

ऋण सूचना कंपनियां

VI.27 अप्रैल 2007 में रिज़र्व बैंक ने ऋण सूचना का कारोबार जारी रखनेवाली/प्रारंभ करने में रुचि रखनेवाली कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों की जांच करने और उन कंपनियों का नाम सुझाने जिन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकता है, के प्रयोजनार्थ डॉ. आर.एच.पाटिल की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति (एचएलएसी) गठित की गई थी। मार्च 2008 में सरकार ने ऋण सूचना कंपनियों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति घोषित की थी। नवंबर 2008 में रिज़र्व बैंक ने घोषणा की कि ऋण सूचना कंपनियों में 49 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर निम्नलिखित मामलों में विचार किया जाएगा : (क) जहां निवेशक सुविनियमित वातावरण में ऋण सूचना ब्यूरो चलाने का सुस्थापित ट्रैक रिकार्ड रखने वाली कंपनी हो; (ख) किसी भी शेयरधारक का उस कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक मताधिकार नहीं होना चाहिए और (ग) वरीयतः, यह कंपनी किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कंपनी होनी चाहिए। ऋण सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च स्तरीय सलाहकार समिति ने ऐसे चार आवेदकों के नामों की सिफारिश की जिन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र देने पर रिज़र्व बैंक विचार कर सकता है। तदनुसार, अप्रैल 2009 में रिज़र्व बैंक ने ऋण सूचना कंपनियां गठित करने के लिए इन चार कंपनियों को 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान कर दिया।

जटिल वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन

VI.28 दिसंबर 2008 में भारतीय बैंकों को सूचित किया गया था कि यदि उनकी विदेशी शाखाएं/सहायक संस्थाएं ऐसे किसी भी वित्तीय उत्पाद में लेनदेन कर रही थीं, जो भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उन पर रिज़र्व बैंक द्वारा कोई भी विशेष प्रतिबंध नही लगाया गया था, के लिए किसी भी पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी यदि ये सीधे-साधे वित्तीय उत्पाद थे। तथापि, ऐसे उत्पादों का लेन-देन करने वाली विदेशी शाखाओं/सहायक संस्थाओं के पास ऐसे उत्पादों के बारे में पर्याप्त ज्ञान और समझ तथा ऐसे उत्पादों में व्यवहार करने की जोखिम प्रबंधन क्षमता होनी चाहिए। ऐसे उत्पादों के संबंध में ठीक तरह से आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए और मौजूदा आफसाइट विवरणियों में सूचित किए जाने चाहिए। यदि बैंकों की कोई भी विदेशी शाखा/सहायक संस्था ऐसे उत्पादों में व्यवहार करना प्रस्तावित करती है तो इसके लिए उन्हें पूर्वानुमोदन लेना होगा।

ग्राहकों के हेज न किये गये विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

VI.29 दिसंबर 2003 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने ग्राहकों के हेज न किये गये विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के कारण पैदा होने वाली जोखिमों को स्वीकार करते हुए और उनको ध्यान में रखते हुए एक नीति बनाएं। यह भी सूचित किया गया था कि निर्दिष्ट सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा ऋण केवल तभी दिये जा सकते है जब ऐसे ऋणों की हेजिंग के संबंध में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट की गयी एक सुपरिभाषित नीति हो। दिसंबर 2008 में पुनःसूचित किया गया था कि निदेशक मंडल की इस नीति में सभी प्रकार के ग्राहकों, जिसमें छोटे और मझौले उद्यम शामिल हैं, के हेज न किये गये विदेशी मुद्रा एक्सपोजर कवर किये जाने चाहिए और इस समुच्चय में बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) सहित सभी स्रोतों से एक्सपोजरों को हिसाब में लिया जाना चाहिए था। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे भारी विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों वाले ग्राहकों और छोटे और मझौले उद्यमों के हेज न किये एक्सपोजरों सहित ग्राहकों के विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के हेज न किये गये हिस्से निगरानी करें और उसकी मासिक आधार पर समीक्षा करें। अन्य सभी मामलों में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे इनकी निगरानी के लिए एक प्रणाली बनायें और ऐसी स्थितियों की तिमाही आधार पर समीक्षा करें।

प्रतिचक्रीय विवेकसम्मत मानदंड

VI.30 बैंकों का ऋण एवं अग्रिम संविभाग अक्सर चक्रीय रूप से अनुकूल चलता है और विस्तारक चरण के दौरान तेजी से बढ़ता है तथा विपरीत परिस्थिति में घटता है। विस्तार और गतिशील क्रेडिट वृद्धि के समय में अंतर्निहित जोखिम के स्तर को

कम करके आंकने की प्रवृत्ति रहती है और मंदी के समय में विपरीत स्थिति रहती है। चूंकि वे जोखिम को प्रत्याशित के बजाय वास्तविक परिणामों के आधार पर पकड़ते हैं अतः, यह प्रवृत्ति विशिष्ट प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के द्वारा कारगर रूप से दूर नहीं होती है। इसलिए, चक्रीय उछाल के दौरान पूंजी और प्रावधानों का संचय जरूरी है जिसे अर्थव्यवस्था में विपरीत रुख आने की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से क्रेडिट की गुणवत्ता में क्षरण की स्थिति में बैंक के तुलनपत्रों को कुशन प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उच्च क्रेडिट वृद्धि के आलोक में आस्ति गुणवत्ता बनाए रखी गयी थी, प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में पिछले 3-4 वर्षों के दौरान सामान्य से अधिक वृद्धि दर्शाने वाले खंडों को बैंकों के एक्सपोज़र हेतु मानक अग्रिमों के संबंध में जोखिम भार और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं क्रमिक रूप से बढ़ा दी गयीं। तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सितंबर 2008 से वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने बढ़े हुए जोखिम भार और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को घटाकर सामान्य स्तर पर कर दिया।

VI.31 कंपनियों के संबंध में सभी रेट न किये गये दावों, दीर्घावधि और अल्पावधि, चाहे उनकी राशि जो भी हो, पर जोखिम भार नवंबर 2008 में 150 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया। वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र द्वारा आरक्षित दावों और एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को एक्सपोज़र पर जोखिम भार 125 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया।

VI.32 वैश्विक संकट के पांव पसारने से पहले यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि आस्ति गुणवता उच्च क्रेडिट वृद्धि के आलोक में बनाई रखी गई थी, विशिष्ट क्षेत्रों यथा वैयक्तिक ऋणों, पूंजी बाजार एक्पोज़र और वाणिज्यिक रिएल इस्टेट ऋणों में मानक अग्रिमों हेतु सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षा जनवरी 2007 से 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.0 प्रतिशत और 20 लाख रुपए से अधिक के निवासीय आवास ऋणों हेतु 1.0 प्रतिशत कर दी गयी थी। तदनुसार, मौजूदा आर्थिक मंदी के असर को दूर करने के लिए एक प्रतिचक्रीय (काउंटर-साइक्लिकल) उपाय के रूप में सभी प्रकार की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएं 15 नवंबर 2008 से घटाकर जनवरी 2007 से 0.4 प्रतिशत के एक समान स्तर पर कर दी गयी थीं, सिवाय कृषि और छोटे एवं मझौले क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अग्रिमों के मामले को छोड़कर जो लगातार 0.25 प्रतिशत का प्रावधानीकरण आकर्षित कर रहा है। ये संशोधित मानदंड दूरगामी प्रभाव से लागू किये जाएंगे और इस प्रकार पहले किये गये प्रावधानों को पलटने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार के अनुदेश शहरी सहकारी बैंकों को भी जारी किये गये थे।

VI.33 भारतीय बैंकिंग प्रणाली में दबाव के बढ़ने की संभावना के प्रति बढ़ती चिंताओं को देखते हुए एक सीमित अवधि अर्थात 30 जून 2009 तक के लिए एक एक-बारगी के उपाय के रूप में दिसंबर 2008 में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों (अगस्त 2008 में जारी) में कतिपय आशोधन किये गये थे। पहली बार पुनर्संरचित किये गये वाणिज्यिक रिएल इस्टेट एक्सपोजरों और ऐसे एक्सपोजरों (वाणिज्यिक रिएल इस्टेट, पूंजी बाजार और वैयक्तिक/उपभोक्ता ऋणों के अलावा) के मामले में जो व्यवहार्य तो थे किंतु अस्थायी रूप से नकदी प्रवाह की समस्याओं से जूझ रहे थे और उन्हें दूसरी बार पुनर्संरचना की आवश्यकता थी, के आस्ति वर्गीकरण (अर्थात पुनर्संरचना के समय लेखे के आस्ति वर्गीकरण की स्थिति बनाए रखना) हेतु विशेष विनियामक उपाय किया गया था। इसके अलावा, वे लेखे जो 1 सितंबर 2008 की स्थिति के अनुसार मानक थे, लेकिन बाद में अनर्जक आस्ति श्रेणी में चले गये थे, को पुनर्संरचना पर मानक के रूप में माना गया था, बशर्ते बैंकों ने उन्हें 31 मार्च 2009 को या उसके पहले पुनर्संरचना हेतु ले लिया था और पुनर्संरचना का यह पैकेज निर्दिष्ट त्वरित कार्यान्वयन समय सूची में रखा गया था। यह विशेष विनियामक उपाय 'मानक' और 'अवमानक' लेखों को दिया गया था। उन नकद ऋण खातों के मामलों में जिन्हें इन्वेंट्री मूल्यों में गिरावट के कारण बेजमानती करार दिया जा चुका है, विशेष विनियामक उपाय का लाभ लेने के जमानत की शर्त समाप्त कर दी गई थी, बशर्ते बैंकों द्वारा यथा निर्देशानुसार प्रावधान किए गए हों। इस बात पर जोर दिया गया था कि रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रिमों की पुनर्संरचना से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंध में लागू की गयी रियायतों का लक्ष्य बैंकों और उधारकर्ताओं को इकाइयों के आर्थिक मूल्य को बचाए रखने के एक अवसर के रूप में प्रदान किया गया था और इसे अग्रिमों को हमेशा हराभरा बनाए रखने के साधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

अस्थायी प्रावधान

VI.34 तथापि, इस प्रकार उपलब्ध अस्थायी प्रावधानों को लाभ-हानि खाते में जमा करके पलटा नहीं जाना चाहिए बल्कि इन्हें केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विशिष्ट प्रावधान करने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। ऐसा उपयोग होने तक इन प्रावधानों को निवल अनर्जक आस्तियों की स्थिति पर पहुंचने के लिए सकल अनर्जक आस्तियों से घटाया जाना चाहिए अथवा

विकल्पतः उन्हें कुल जोखिम भारित आस्तियों की 1.25 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर टीयर II पूंजी के एक अंग के रूप में माना जा सकेगा। तथापि, पहला विकल्प 1अप्रैल 2009 से समाप्त कर दिया गया था। आगे यह निर्णय लिया गया था कि बैंकों को उनके स्वविवेक पर कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के तहत माफ किए गए ऐसे ब्याज/प्रभारोंको पूरा करने की सीमा तक 'अग्रिम' संविभाग हेतु धारित अस्थायी प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

बेजमानती ऋण

VI.35 बैंकों के तुलनपत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने और बेजमानती अग्रिमों की सही स्थिति दर्शाना सुनिश्चित करने के लिए यह सूचित किया गया था कि बेजमानती अग्रिमों की राशि, जो प्रकाशित तुलनपत्र की नौवीं अनुसूची में दशाई जा सकेगी, को तय करने के लिए उनके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (बुनियादी संरचना परियोजनाओं सहित) के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बैंकों पर प्रभारित अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों की भौतिक जमानत के रूप में गणना नहीं की जानी चाहिए। अतः ऐसे अग्रिमों की गणना बेजमानती अग्रिमों के रूप में की जाएगी।

तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र

VI.36 क्रेडिट एक्सपोजर के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता की गणना करने के प्रयोजन हेतु बैंकों को अगस्त 2008 में सूचित किया गया था कि वे 'वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति' का उपयोग करके ब्याज दर और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन तथा स्वर्ण के कारण उत्पन्न होने वाले उनके क्रेडिट एक्सपोजरों/क्रेडिट तुल्य निवेशों की गणना करें। इस प्रकार परिकलित क्रेडिट एक्सपोजरों के लिए भी संबंधित प्रतिपक्षी पार्टियों की 'मानक' श्रेणी ऋण आस्तियों के लिए यथा प्रयोज्य प्रावधानीकरण अपेक्षा लागू होगी। अक्तूबर 2008 में यह निर्दिष्ट किया गया था कि किसी डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक एमटीएम मूल्य को दर्शाने वाली अतिदेय प्राप्तियां अनर्जक आस्तियों के रूप में मानी जाएंगी, यदि ये आस्तियां 90 दिनों तक अथवा उससे अधिक समय तक अदत्त बनी रहती हैं और उधारकर्ता-वार वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसरण में ग्राहक की सभी अन्य निधीयित सुविधाएं अनर्जक के रूप में मानी जाएंगी। उधारकर्ता-वार आस्ति वर्गीकरण का सिद्धांत वायदा संविदाओं,एकदम सादे स्वैप और आप्शनों तथा काम्प्लेक्स डेरिवेटिव संविदाओं को छोड़कर अन्य डेरिवेटिवों से उत्पन्न होनेवाले सभी अतिदेयों पर लागू होगा जो अप्रैल 2007 तथा जून 2008 की अवधियों के बीच की गई हैं।

धनशोधन निवारक उपाय

VI.37 धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 (पीएमएलए) को 6मार्च 2009 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इस संशोधन में अन्य बातों के साथ-साथ धनशोधन निवारण ढांचे के भीतर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 में परिभाषित किए गए अनुसार भुगतान प्रणाली परिचालकों और 'प्राधिकृत व्यक्तियों' को इसमें शामिल किया जा सके। बैंकों के लिए रिपोर्टिंग करने विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधित किए गए थे जिनकी मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

(i) वे सभी लेन-देन जिनमें जाली अथवा नकली नोटों का प्रयोग असली की तरह किया गया, प्रधान अधिकारी द्वारा वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआइयू-आइएनडी) को तत्काल निर्दिष्ट फार्मेट - नकली करेंसी रिपोर्ट (सीसीआर) में सूचित किये जाने चाहिए।

(ii) सभी जटिल,असामान्य रूप से बड़े लेनदेनों और असामान्य स्वरूप के सभी लेनदेनों, जिनका कोई अप्रत्यक्ष या दिखाई देने वाला प्रयोजन नहीं है, की यथासंभव रूप से जांच की जानी चाहिए और इसके निष्कर्षों की शाखा और प्रधान अधिकारी के स्तर पर विधिवत् रिकार्डिंग की जानी चाहिए। इन रिकार्डों को पीएमएलए, 2002 के अधीन दस वर्ष के लिए संरक्षित रखा जाना चाहिए।

(iii) इस बाद की संभावना है कि कुछ मामलों में कुछ विवरण देने अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग पर ग्राहकों द्वारा लेनदेन छोड़ दिया/नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट किया गया था कि बैंकों को ऐसे कोशिश किये गये लेनदेन संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों(एसटीआर) में किये जाने चाहिए चाहे उनकी राशि जो भी हो और वे ग्राहकों द्वारा पूरे किये गये हों अथवा नहीं।

(iv) एसटीआर बनाते समय बैंकों को पीएमएलए, 2002 अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के नियम 2(जी) में दी गयी 'संदिग्ध लेनदेन' की परिभाषा का पालन करना चाहिए। एसटीआर तब भी बनाई जा सकेगी यदि इस बात पर विश्वास करने का

पर्याप्त आधार हो कि इस लेनदेन में अपराध से प्राप्त धन निहित है, चाहे उस लेनदेन की राशि जो भी हो और/अथवा पीएमएलए 2002 की अनुसूची भाग 'ख' में विधेय अपराधों के लिए न्यूनतम सीमा निर्दिष्ट की गयी हो।

(v) स्टाफ के बीच अपने ग्राहकों को जानिए (केवाइसी)/धन शोधन निवारण विषयक जागरूकता लाने तथा संदेहास्पद लेनदेन के लिए सतर्कता उत्पन्न करने के संदर्भ में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे भारतीय बैंक संघ की बैंकों के लिए मार्गदर्शी टिप्पणी, 2005 में निहित संदिग्ध गतिविधियों की संकेतात्मक सूची पर विचार करें।

ग्राहक सेवा

VI.38 वर्ष के दौरान बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण गतिविधियां प्रारंभ की गयीं। किसी विषय से संबंधित सभी मौजूदा अनुदेशों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राहक सेवा से संबंधित कई महत्वपूर्ण अनुदेश मास्टर परिपत्र के रूप में संकलित किये गये थे जो 3 नवंबर 2008 को जारी किया गया था।

VI.39 बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 चलाने में प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस योजना में फरवरी 2009 में संशोधन किया गया था। इन संशोधनों के मुख्य-मुख्य पहलुओं में शामिल हैं, इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं से उत्पन्न होने वाली कमियों पर विचार करना, उधारदाताओं के लिए उचित प्रथा संहिता अथवा ग्राहकों के प्रति बैंकों की वचनबद्धता संहिता के प्रावधानों का पालन न करने तथा वसूली एजेंटों की सेवाएं लेने के संबंध में रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण न करने के लिए बैंकों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करने में ग्राहकों को समर्थ बनाने की योजना का दायरा बढ़ाना। रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों से यह भी कहा कि वे व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु अपनी वेबसाइटों पर बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 की एक प्रति भी रखें।

VI.40 रिपोर्ट मिली थी कि बैंक बाहरी चेकों की वसूली और निधियों के कतिपय इलेक्ट्रॉनिक विप्रेषण/अंतरण संबंधी सेवाओं के उपयोग हेतु भारी सेवा प्रभार लगा रहे थे। इस संबंध में शिकायतों में कमी लाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों के लिए एक समान सेवा प्रभार के साथ-साथ बाहरी चेकों की वसूली हेतु प्रभारों के संबंध में अक्तूबर 2008 में अनुदेश जारी किये गये।

VI.41 ग्राहक सेवा संबंधी समिति (अध्यक्ष श्री एच. प्रभाकर राव) ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2008 में प्रस्तुत की थी और इसमें करेंसी प्रबंधन, सरकारी कारोबार जिसमें पेंशन और करों की अदायगी तथा विदेशी मुद्रा सेवाएं शामिल हैं, से संबंधित मामलों को कवर किया गया था (बॉक्स VI.4)।

VI.42 अगस्त 2008 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उन खातों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय तक कोई परिचालन नहीं हुए थे और ग्राहकों को खोजने के तरीके, खाते में कोई गतिविधियां ने होने के कारण सुनिश्चित करने जहां दो वर्ष से भी अधिक समय से कोई लेनदेन न हुआ हो और बचत बैंक खाते में ब्याज अदा करना निर्दिष्ट हो वहां ऐसे और खाते को अप्रवर्ती / निष्क्रिय के रूप में लेबल करने के तरीके बताए गये थे। चूंकि निष्क्रिय खाते को अलग करने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य धोखाधड़ियों का जोखिम कम करना था, अतः बैकों द्वारा इस लेनदेन की निगरानी धोखाधड़ी से बचाव और एसटीआर करने, दोनों ही दृष्टि से उच्च स्तर पर की जानी चाहिए।

VI.43 चूंकि बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं में ग्राहक अनुकूल सूचना का प्रदर्शन वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में से एक तरीका है, वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 'ग्राहक सेवा सूचना', ब्याज दरें, 'सेवा प्रभार', 'शिकायत निवारण' और 'अन्य' से संबंधित महत्त्वपूर्ण पहलुओं अथवा अनिवार्य अनुदेशों को व्यापक रूप से सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें और यह विस्तृत जानकारी एक पुस्तिका / विवरण पत्र के रूप में उपलब्ध कराएं।

VI.44 वर्ष के दौरान बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किये गये थे कि उनकी सब शाखाएं अनिवार्य रूप से उन सभी ग्राहकों से काउंटर पर नकदी स्वीकार करें जो नकद लेनदेन करना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋणों की प्रोसेसिंग हेतु प्रभारों/शुल्कों से संबंधित सभी सूचना अनिवार्य रूप से ऋण आवेदन फार्मों में दी जाती है और ग्राहकों को 'कुल लागत' बताई जाती है ताकि ग्राहक वित्तपोषण के अन्य वैकल्पिक स्रोतों के साथ प्रभारित की गयी दरों की तुलना कर सकें तथा ग्राहक की सहमति से उसकी पास बुक / खाते के विवरण में नामिती का नाम दर्शाने और एटीएमों / बैंक शाखाओं में ढालू सीढ़ी (रेंप) बनाने तथा स्थापित किए जाने वाले एटीएमों में से कम से कम एक-तिहाई बोलने वाले तथा ब्रेल लिपि की सुविधा वाले एटीएम लगाने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे।

बॉक्स VI.4
ग्राहक सेवाओं के संबंध में समिति

रिज़र्व बैंक ने आम जनता का संतोष बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा सीधे अथवा बैंकों/संस्थाओं के माध्यम से ग्राहक सेवाओं को देखने के लिए ग्राहक सेवा के संबंध में समिति गठित की थी। प्रभाकर राव समिति के द्वारा की गयी प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं:

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से सरकारी पेंशन का भुगतान

- शाखा प्रबंधक को शाखा में तिमाही आधार पर शाखा के पेंशनरों के सभी वर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए।
- बैंकों को सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां कहीं भी संभव हो वे पेंशनर जो पहले रिटायर हुए है वे अपने पेंशन खातों को संयुक्त खातों में बदलें। उनसे नामन अनिवार्यतः लिया जाना चाहिए।
- बैंकों को चाहिए कि वे संबंधित सरकारी विभाग के परामर्श से पेंशन संबंधी मामलों को देखने वाले बैंक कार्मिकों हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करें।
- बैंकों को चाहिए कि वे सरकारी पेंशन के संवितरण से संबंधित बैक ऑफिस कार्य अपने हाथ में लेने के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान कक्ष (सीपीपीसी) की स्थापना करें।

एजेंसी बैंकों द्वारा करों का संग्रहण (ऑन लाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम - ओएलटीएएस)

- सभी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित स्टाफ को ओएलटीएएस की आवश्यकताओं का उचित रूप से प्रशिक्षण दिया गया हो और उन्हें व्यक्तिशः मूल्यांकितियों की आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी दी गयी हो।
- आय-कर का भुगतान स्वीकार करने वाली सभी बैंकों की प्राधिकृत शाखाओं को एक सूचना अथवा बोर्ड के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट रूप से और प्रमुखता से दर्शाना चाहिए।
- बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपनी शाखाओं में सूचनाएं लगाकर चालान में सही पैन नंबर, मूल्यांकन वर्ष और अन्य विवरण मूल्यांकितियों से भरने के लिए कहें। इसके अलावा, आसानी से पढ़ने और समझने वाली ठक्या करेंड और ठक्या न करेंड कार्यों की सूची ग्राहकों के मार्गदर्शन हेतु एक सूचना के रूप में लगाना अनिवार्य है।
- बैंकों को मूल्यांकितियों द्वारा की गयी किसी भी गलत प्रविष्टियों की संभावनाओं को दूर करने के लिए मौजूदा मूल्यांकितियों के पैन नंबर के सत्यापन की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
- बैंकों को चाहिए कि वे उन मूल्यांकितियों की सुविधा के लिए बिना भरे हुए सादे मुद्रित चालान उपलब्ध कराए जिन्हें इंटरनेट पर पहले से जांचे गये पूर्व मुद्रित चालान नहीं मिल सके हैं।
- कर वसूल करने वाली शाखाओं को चाहिए कि वे इन चेकों की रसीद की पावती स्वरूप अनिवार्य रूप से पेपर टोकन अवश्य दें।
- सभी बैंकों को चाहिए कि वे एक समयबद्ध तरीके से ई-पेमेंट सुविधाओं की स्थापना करें।

'बचत बांडों' का निर्गम और परिचालन

- बैंकों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किये गये थे कि एक निर्दिष्ट सीमा (माना कि 25 लाख रुपए) के उपर सरकारी कारोबार करने वाली प्रत्येक शाखा समवर्ती लेखा-परीक्षा द्वारा कवर की गयी थी। ग्राहक सेवाओं से संबंधित पहलुओं के विशेष संदर्भ सहित बचत बांडों की चुकौतियों के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षा की व्याप्ति निर्धारित की जानी चाहिए।
- प्रत्येक बैंक को बचत बांडों की चुकौती से संबंधित प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए कहा गया था ताकि बांडों की समय पर चुकौती होना सुनिश्चित किया जा सके।
- बैंकों को सूचित किया गया था कि वे निवेशकों के बैंक खातों के विवरण प्राप्त करने के सक्रिय प्रयास करें ताकि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से बचत बांडों का ब्याज और परिपक्वता आगमों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करने की व्यवस्था में पदार्पण किया जा सके।
- बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एक सर्वेक्षण अथवा प्रश्नावलियों के माध्यम से प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदत्त की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में निवेशकों की राय और दृष्टिकोण प्राप्त करें।

रिज़र्व बैंक ने अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित कदम उठाएः

- केन्द्र सरकार की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन संवितरित किये जाने से संबंधित अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न जून 2008 में रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाले गये थे।
- बैंक शाखाओं के आंतरिक निरीक्षण के उपयोग हेतु पेंशन भुगतान/सरकारी कारोबार से संबंधित एक जांच बिंदु सूची बैंकों को अग्रेषित की गयी थी और उन्हें सूचित किया गया था कि वे अपने आंतरिक लेखा-परीक्षकों/निरीक्षकों को उस कार्यसूची की मदों के अनुपालन पर उचित ध्यान देने और अपनी रिपोर्ट में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर टिप्पणी करने के लिए निर्देश जारी करें।
- इस बात के प्रयास किये गये थे कि देश के अधिक से अधिक स्थानों तक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नेटवर्क का विस्तार किया जा सके ताकि प्रत्येक निवेशक बचत बांडों पर मिलने वाले ब्याज और चुकौती आगम अपने खाते में सीधे प्राप्त करने का विकल्प चुन सके।

VI.45 वर्तमान में, बचत बैंक खातों पर ब्याज की गणना प्रत्येक कैलेंडर महीने के दसवें दिन से लेकर अंतिम दिन के बीच की अवधि के दौरान खातों में रखे गये न्यूनतम शेषों पर की जाती है। कम्प्यूटरीकरण के वर्तमान संतोषजनक स्तर और वाणिज्यिक बैंकों के व्यापक नेटवर्किंग परिप्रेक्ष्य में तथा 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुरूप प्रस्तावित

किया गया था कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान 1 अप्रैल 2010 से दैनिक उत्पाद आधार पर होगा।

VI.46 जुलाई 2008 में बैंकों के क्रेडिट परिचालनों के संबंध में उन्हें विस्तृत अनुदेश जारी किये गये थे जिनमें अवांछित कार्ड जारी करना, क्रेडिट कार्ड धारकों को बीमा सुरक्षा, खोये/चोरी हुए कार्डों के दुरुपयोग से बचाव, क्रेडिट कार्डों पर केवल 'न्यूनतम देय राशि' अदा करने के निहितार्थों के संबंध में ग्राहकों को शिक्षित करना, अत्यधिक ब्याज/अन्य प्रभार, निपटाई न जा सकी शिकायतों का बढ़ना, भारतीय ऋण आसूचना ब्यूरो लि. / सीआइसी को रिपोर्टिंग, टेली मार्केटरों का पंजीकरण, गलत बिल बनाने और शिकायतों का निवारण जैसे पहलुओं को इसमें शामिल किया जाए।

VI.47 भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) द्वारा बनाई गई संहिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से बीसीएसबीआइ ने ''ग्राहक मामले'' शीर्षक से एक तिमाही न्यूज़ लेटर प्रारंभ किया था जो प्रत्येक सदस्य बैंक की प्रत्येक शाखा को भेजा गया था। बीसीएसबीआइ ने जनता, बैंकिंग लोकपाल, बैंक ग्राहकों के हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विभिन्न निकायों से सुझाव मांगे थे और अब भारतीय बैंक संघ के सहयोग से ग्राहकों के प्रति बैंकों की वचनबद्धता की संहिता समीक्षा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जन शिकायत उन कारगर उपकरणों में से एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से बीसीएसबीआइ बैंकों द्वारा किये जाने वाले इस संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की सतत निगरानी करता है। अपनी डिज़ाइन और जनमत से बीसीएसबीआइ एक शिकायत निवारण एजेंसी नहीं है जो व्यक्तियों और उसके बैंक के बीच के विवादों के संबंध में विवाचन द्वारा सुलह करा सके लेकिन लोगों द्वारा की गयी शिकायतें कभी-कभी प्रणालीगत कमियों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालती हैं। वे प्रणालीगत अथवा बैंक विशिष्ट स्तर पर संहिता के अनुपालनों की निगरानी में बीसीएसबीआइ को समर्थ बनाती हैं।

पर्यवेक्षी पहलें

VI.48 सीमापारीय पर्यवेक्षण और विदेशी विनियामकों के साथ पर्यवेक्षी सहयोग हेतु एक उचित ढांचे के अंगीकरण के लिए रोड मैप निर्धारित करने के लिए एक आंतरिक कार्य दल गठित किया गया था जिसने जनवरी 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए इस दल की सिफारिशों की जांच की जा रही है। एक अंतर-विभागीय दल भी उन अतिरिक्त क्षेत्रों/मुद्दों की जांच कर रहा है जिन्हें पर्यवेक्षी फोकस के अधीन लाये जाने की आवश्यकता है जिसमें भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं और सहायक संस्थाओं के ऑन-साइट पर्यवेक्षण के तरीके शामिल हैं। आशा की जाती है कि यह दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा। वित्तीय संगुटों (एफसी) के प्रणालीगत महत्व को ध्यान में रखते हुए समूहव्यापी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं, आंतर समूह लेन-देन और निवेश (आइटीई) का सुरक्षित रूप से संचालन तथा जोखिम संकेन्द्रणों का प्रबंधन, 'सही और उपयुक्त' सिद्धांतों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों सहित वित्तीय संगुटों में कंपनी संचालन प्रणालियां, क्षेत्रीय नियंत्रकों के बीच सहयोग और सूचना का आदान-प्रदान जैसे कतिपय उपायों को शुरू करके वित्तीय संगुटों की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

VI.49 बैंकों को सूचित गया था कि वे कमजोर केवाइसी मानकों वाले देशों और काले धन को सफेद बनाने तथा आतंकवादियों के वित्तपोषण के विरुद्ध लड़ाई में 'असहयोगी' के रूप में चिह्नित देशों में स्थित जवाबी बैंकों के साथ संबंध जारी रखते समय अत्यंत सचेत रहें। रिज़र्व बैंक द्वारा धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवादियों के वित्तपोषण के विरुद्ध लड़ाई (सीएफटी) लड़ने के संबंध में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांत वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) की सिफारिशों के अनुरूप हैं। असहयोगी क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत होने वाले लेनदेनों के लिए करदाताओं और वित्तीय संस्थाओं पर प्रकटीकरण की अपेक्षाएं बढ़ा दी गयी हैं। रिज़र्व बैंक अपने विनियमों में अद्यतन अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने का कार्य जारी रखेगा।

ऑफ साइट विवरणियां

VI.50 वर्ष 1995 में प्रारंभ किया गया आफसाइट पर्यवेक्षण सधे कदमों से चलते हुए रिज़र्व बैंक के वित्तीय स्थिरता वास्तु का अभिन्न घटक बन गया है जो बैंक स्तर के साथ-साथ प्रणाली स्तर पर बैंक की कमजोरियों के बारे में चेतावनी संकेत देता है। इसकी कारगरता बनाए रखने के उद्देश्य से उभर रही अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के साथ-साथ देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आफसाइट चौकसी प्रणाली में सतत रूप से परिवर्तन किए जाते हैं।

VI.51 एक सुरक्षित ऑन लाइन विवरणी फाइलिंग प्रणाली (ओआरएफएस) के माध्यम से सभी विनियामक विवरणियां प्राप्त करने के लिए लिये गए नीतिगत निर्णय के अंग के रूप में बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गयी मौजूदा आवधिक विवेकसम्मत ऑफ-साइट

विवरणियां चरणबद्ध रूप से ओआरएफएस में ले जाई जा रही हैं। फरवरी 2008 से चलनिधि संबंधी पाक्षिक विवरणी (संरचनागत चलनिधि का विवरण) को ओआरएफएस में ले जाए जाने के बाद चार और विवरणियां यथा ब्याज दर रुपया और विदेशी मुद्रा दोनों के प्रति संवेदनशीलता संबंधी रिपोर्ट, परिपक्वता और स्थिति संबंधी विदेशी मुद्रा रिपोर्टें और सहायक संस्थाओं/संयुक्त उपक्रमों/सहयोगी संस्थाओं संबंधी रिपोर्ट को जनवरी 2009 से सफलतापूर्वक ओआरएफएस में ले जाया गया। एक्सटेन्सिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैग्वेज (एक्सबीआरएल) की सहायता से बासेल II के अनुसार पूंजी पर्याप्तता संबंधी एक नयी विवरणी विकसित की गई थी और इसे मौजूदा ओरआरएफएस के साथ जोड़ दिया गया था। ओरआरएफएस के लाभों में शामिल हैं आंकड़ों के संग्रहण में सुगमता, तेज प्रस्तुतीकरण, प्राप्तियों की निगरानी और इन विवरणियों में परिवर्तन तथा प्रणाली के रखरखाव की संभावनाएं।

धोखाधड़ियों की निगरानी

VI.52 हाल ही के वर्षों में रिज़र्व बैंक के धोखाधड़ियों की निगरानी के कार्य ने अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है क्योंकि बड़ी राशियों की होने वाली धोखाधड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह धोखाधड़ियां पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ नये क्षेत्रों जैसे कि आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और बाहर से कार्य करवाने (आउटसोर्सिंग) में भी देखी गई हैं (सारणी 6.6)।

VI.53 मामलों की बढ़ती हुई जटिलता बैंकों को पहले से ज्यादा परिचालनीय जोखिम में डाल रही है। अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के एक अंग के रूप में रिज़र्व बैंक बैंकों को समय-समय पर आम धोखाधड़ी प्रवण क्षेत्रों, धोखाधड़ियों के तरीकों के बारे में जागरूक करता रहा है तथा धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने/कम करने के संबंध में किये जाने वाले उपायों के बारे में बताता रहा है।

सारणी 6.6 : बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ियां

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	धोखाधड़ियां		1 करोड़ रुपए और उससे अधिकवाली धोखाधड़ियां	
	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5
2004-05	10,450	779	96	461
2005-06	13,914	1,381	194	1,094
2006-07	23,618	1,194	150	840
2007-08	21,247	1,059	177	659
2008-09	23,914	1,883	212	1,404

VI.54 वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ने (सुरक्षित ई-मेल के माध्यम से) उन बेईमान उधारकर्ताओं, जिन्होंने 25 लाख से अधिक की राशि की धोखाधड़ियां की थीं, के बारे में बैंकों को 102 चेतावनी सूचनाएं जारी की थीं ताकि उन्हें क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत करने पर विचार करते समय वे पर्याप्त सावधानी बरत सकें। बिल्डरों, वेयरहाउस मालिकों, सनदी लेखाकारों, वकीलों और संपत्तियों का मूल्यांकन करने वालों जैसी इकाइयों, जिनका बैंकों के साथ कोई संविदागत संबंध नहीं है, के विरूद्ध निवारक कार्रवाई करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया था कि बैंक ऐसे तत्त्वों के नाम भारतीय बैंक संघ को सूचित कर सकेंगे ताकि भारतीय बैंक संघ बैंकों के बीच परिचालन हेतु एक सतर्कता सूची तैयार कर सके। इस संबंध में मार्च 2009 में बैंकों को एक परिपत्र जारी किया गया था।

VI.55 2008-09 में आर्थिक मंदी के दौरान, अर्थव्यवस्था में जान लाने के लिए विशेषकर कतिपय विशिष्ट खंडों जैसे कि आवासन और बुनियादी संरचना क्षेत्र में जान लाने के लिए व्यावहारिक क्रेडिट विस्तार की आवश्यकता स्वीकार की गयी थी। तथापि, क्रेडिट विस्तार की अनिवार्य आवश्यकता के कारण आंतरिक नियंत्रणों में ढील देने की गुंजाईश है। नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन के कमज़ोर स्तर के कारण धोखाधड़ियां आसान हो जाती हैं, विशेषकर तब, जब तेज क्रेडिट विस्तार एक मंद अर्थव्यवस्था में हासिल किया जाना हो। अतः, बैंक पर्यवेक्षी ढांचे में उचित सावधानियों का समावेश करने की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक मौजूदा कानूनी दृष्टिकोण के सामने धोखाधड़ी पर्यवेक्षण के लिए एक विवेकसम्मत दृष्टिकोण विकसित करना प्रस्तावित करता है। इस दृष्टिकोण में बैंकों द्वारा सामना की जा रही परिचालनीय जोखिमों की रूपरेखा तैयार करते हुए धोखाधड़ियों में हो रही तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बासेल II स्तंभ 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) के साथ धोखाधड़ियों के संबंध में पर्यवेक्षी निगरानी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी।

शहरी सहकारी बैंक

VI.56 कृषीतर क्षेत्र, विशेषकर छोटे उधारकर्ताओं की आवश्यताओं को पूरा करने के लिए प्रथमिक (शहरी) सहकारी बैंक शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में वित्तीय मध्यस्थों के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के संदर्भ में इस क्षेत्र को सुदृढ़ मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि विज़न दस्तावेज़ में परिकल्पना की गई थी, केंद्र सरकार

(बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों के लिए) और 26 राज्य सरकारों के साथ रिज़र्व बैंक में सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों की पहचान करने और उनका भविष्य तय करने के लिए केंद्र और इन राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में कार्यदल (टीएएफसीयूबी) गठित किए जा चुके हैं। अब यह, सहमति ज्ञापन व्यवस्था इस क्षेत्र के 99 प्रतिशत बैंकों को कवर करती है और इस ये क्षेत्र की 99 प्रतिशत से अधिक जमाराशियों को कवर करते हैं।

VI.57 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की कमजोर / अव्यवहार्य इकाइयों को बाहर जाने का अबाधित अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2009 में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गांरटी निगम (डीआइसीजीसी) की सहायता से शहरी सहकारी बैंकों के विलय / समामेलन के संबंध में मार्ग-दर्शी सिद्धांत जारी किए। ऋणात्मक निवल मालियतवाले शहरी सहकारी बैंकों को पुनर्संरचित करने और एक लाख रुपये और उससे अधिक की जमा राशियों के बड़े उधारकर्ताओं और सहकारी संस्थाओं की जमाराशियों के एक भाग को इक्विटी पूंजी और नवोन्मेषी अक्षत ऋण लिखतों (आइपीडीआइ) में बदलने की अनुमति दी गई थी जिससे कि इन पुनर्संरचित बैंकों की व्यवहार्याता बहाल की जा सके। जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने मध्यम आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं को सहकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों को अंतरित करने की भी अनुमति प्रदान की। पूंजी निधियां जुटाने और 9 प्रतिशत का निर्दिष्ट सीआरएआर हासिल करने के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अधिमान शेयरों और दीर्घावधि जमाराशियों के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए। समन्वित पर्यवेक्षण की सुविधा के साथ राज्यों के शहरी सहकारी बैंकों को, जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, करेंसी चेस्ट खोलने, म्युचुअल फंडों की यूनिटों और बीमा उत्पादों की यूनिटें बेचने तथा विदेशी मुद्रा संबंधी सेवाएं देने, नए एटीएम खोलने और विस्तार काउंटरों को शाखाओं में बदलने की अनुमति दी गई है।

VI.58 हाल ही के समय में उठाए गए उपायों के कारण इस क्षेत्र की प्रोफाइल में परिवर्तन आया है। श्रेणी I या II के बैंकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और यह 31 मार्च 2005 के 1,147 (1,872 बैंकों की कुल संख्या का 61 प्रतिशत) से बढ़कर 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 1,326 (1,721 बैंकों की कुल संख्या का 77 प्रतिशत) हो गई। इसी प्रकार श्रेणी III और श्रेणी IV शहरी सहकारी बैंकों को एक साथ मिला दें (शहरी सहकारी बैंकों में कमजोरी / रुग्णता के अर्थ में) तो उनकी संख्या भी 31 मार्च 2005 के 725 (कुल का 39 प्रतिशत) से घटकर 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 395 (कुल का 23 प्रतिशत) हो गयी।

शाखा विस्तार

VI.59 राज्यों के सुदृढ़ और अच्छी तरह से कार्य करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को, जिन्होंने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, सहज (ऑर्गेनिक) वृद्धि के मार्ग उपलब्ध कराए गए थे क्योंकि वे समस्त राज्य में अपने परिचालन क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। 2008-09 में ऐसे शहरी सहकारी बैंकों के लिए शाखा लाइसेन्स प्रदान करने के मानदंड और उदार बना दिए गए थे। यह निर्णय लिया गया था कि शाखा विस्तार हेतु आवेदन जिसमें ऑफ-साइट एटीएम शामिल है पर कतिपय मानदंडों को पूरा करने पर ही विचार किया जाएगा। वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में इस आशय की की गई घोषणा के अनुसरण में ऑन-साइट एटीएम खोलने के लिए पात्रता मानदंड उदार बना दिए गए थे।

वित्तीय पुनर्संरचना

VI.60 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि समस्याग्रस्त बैंकों की समस्याओं के हल हेतु कतिपय शर्तों के अधीन उनके वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्तावों पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विचार किया जाएगा।

विवेकसम्मत मार्गदर्शी सिद्धांत

VI.61 निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में एसएलआर धारिताओं का अनुपात संशोधित कर दिया गया था और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से कहा गया था कि वे 30 सितंबर 2009 तक 7.5 प्रतिशत, 31 मार्च 2010 तक 15 प्रतिशत का 31 मार्च 2011 तक 25 प्रतिशत एसएलआर रखेंगे। शहरी सहकारी बैंकों का गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पिछले वर्ष की 31 मार्च की इस स्थिति के अनुसार बैंक की कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत तक सीमित रहना जारी रहेगा।

VI.62 2008-09 में आर्थिक मंदी, जिसने इकाइयों की चलनिधि और चुकौती क्षमताओं पर दबाव पैदा कर दिया था जबकि वे

अन्यथा व्यवहाय इकाईयां थीं, के परिप्रेक्ष्य में अग्रिमों की पुनर्संरचना के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे जो 6 मार्च 2009 (अर्थात परिपत्र जारी होने की तारीख) के बाद पुनर्संरचित सभी खातों पर लागू थे। इन संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण कारोबारी गतिविधियों में संलग्न उधारकर्ताओं के लिए विशेष विनियामक व्यवस्था दी गई है बशर्ते वे कतिपय शर्तों का अनुपालन करते हों। इस विशेष विनियामक व्यवस्था के दो घटक हैं - पुनर्संरचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन और आस्ति वर्गीकरण लाभ।

VI.63 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार नकारात्मक निवल मालियत रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित बपौती वाले मामलों के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि रिज़र्व बैंक समामेलन की एक योजना पर विचार करेगा जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान करने, अंतरिती बैंक द्वारा वित्तीय योगदान तथा बड़े जमाकर्ताओं द्वारा बलिदान करने की व्यवस्था होगी। बपौती वाले ऐसे मामलों में शहरी सहकारी बैंकों के विलय हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्दिष्ट किए गए थे जिसके साथ अंतरक बैंक की आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन तथा अंतरिती बैंकों को दिए जा सकने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहनों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए थे।

विनियामक पहलें

VI.64 1 जनवरी 2009 से अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए अधिक स्वतंत्र छोटे-छोटे आस्ति-देयता प्रबंधन विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्त (संरचनात्मक चलनिधि के विवरण में प्रथम समयावधि को 3 समयावधियों में विभाजित करना) लागू किए गए थे। वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के फलस्वरूप टियर-II शहरी सहकारी बैंकों को विद्यमान विवेकसम्मत एक्सपोज़र सीमाओं के अधीन प्रति हिताधिकारी एक आवास इकाई के लिए 50 लाख रुपए (पहले 25 लाख रुपए) का अधिकतम वैयक्तिक आवास ऋण देने की अनुमति दी गई थी।

ग्राहक सेवा

VI.65 सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे चेकों के समाशोधन के मामले में राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई समय सीमा का अनुपालन करें। निर्दिष्ट सीमा के बाद होने वाले विलंब के लिए बैंकों को मीयादी जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर से अथवा चेकों के आदाता को संबंधित बैंक की नीति के अनुसार निर्दिष्ट दर से ब्याज अदा करना चाहिए।

VI.66 वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को ग्राहक सेवोन्मुखी अधिसूचनाएं जारी की गयी थीं। इन अधिसूचनाओं में व्यापक सूचनापटों पर बैंकों द्वारा सूचना प्रदर्शित करने, ब्याज दरों और सेवा प्रभारों से संबंधित सूचना का प्रदर्शन तथा विकलांग व्यक्तियों द्वारा बैंक शाखाओं और एटीएम तक पहुंच को आसान बनाने की आवश्यकता से संबंधित अनुदेशों का समावेश था। चूंकि दृष्टिहीन व्यक्ति कानूनी रूप से कारोबारी संविदाएं करने के लिए सक्षम थे, अतः शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सुनिश्चित करें कि सभी बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि चेक बुक सुविधा (तृतीय पक्ष चेकों सहित), एटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, फुटकर ऋण और क्रेडिट कार्ड अनिवार्य रूप से बिना किसी भेदभाव के दृष्टिहीन व्यक्तियों को दी जाएं। शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि उनके ग्राहकों से प्राप्त होने वाली शिकायतें और उन्हें दूर करने की एक उचित व्यवस्था मौजूद रहे जिसमें ऐसी शिकायतों को बिना किसी भेदभाव के और तेजी से हल करने पर विशेष जोर दिया जाए चाहे उस शिकायत का स्रोत जो भी हो।

कारोबार सुसाध्य बनाना

VI.67 शहरी सहकारी बैंक जिन्हें श्रेणी I और II प्राधिकृत व्यापारी के रूप में मान्यता प्राप्त है, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त नामोद्दिष्ट करेंसी फ्यूचर एक्सचेंजों में केवल अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़रों को हेज करने के प्रयोजन से ग्राहक के रूप में भाग ले सकेंगे।

विलय और समामेलन

VI.68 विलय प्रस्तावों को अनापत्ति प्रदान करने हेतु पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध करा कर कमजोर इकाईयों का सुदृढ़ संस्थाओं के साथ विलय करने के माध्यम से इस क्षेत्र के समेकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है (बाक्स VI.5)। विलय/समामेलन हेतु प्रस्तावों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए विलय के वित्तीय पहलुओं तक ही अपने अनुमोदनों को सीमित रखता है। अनिवार्य रूप से, उन बैंकों के लिए यह निर्णय स्वैच्छिक है कि वे अपने विलय प्रस्ताव हेतु अनापत्ति प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक से सम्पर्क करें। जून 2009 के अंत तक 71 शहरी सहकारी बैंकों का विलय हो चुका है जिनमें से 50 बैंक श्रेणी IV बैंक थे जिनमें से 44 की निवल मालियत ऋणात्मक थी।

बॉक्स VI.5
शहरी सहकारी बैंकों का विलय और समामेलन

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में समेकन और सुदृढ़ संस्थाओं का उद्भव के साथ-साथ कमजोर/अव्यवहारी संस्थाओं को बिना किसी झंझट के बाहर जाने का मार्ग उपलब्ध कराना सुगम बनाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2005 में शहरी सहकारी बैंकों के विलय/समामेलन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे।

विलय और समामेलन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा आरसीएस/सीआरसीएस को विलय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ उसकी एक प्रति कतिपय विशिष्ट सूचना के साथ रिज़र्व बैंक को भी अग्रेषित की जाती है। रिज़र्व बैंक इन प्रस्तावों की जांच करता है और शहरी सहकारी बैंकों के विलय / समामेलन उन आवेदनों को एक विशेषज्ञ दल के समक्ष प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन पर यदि यह प्रस्ताव उचित पाया जाता है तो रिज़र्व बैंक आरसीएस/सीआरसीएस और संबंधित बैंकों को एक अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करता है और तब आरसीएस/सीआरसीएस उसे सहकारी समितियां अधिनियम जिसके अंतर्गत वह बैंक पंजीकृत है, के प्रावधानों के अनुपालन में लक्ष्यित शहरी सहकारी बैंक के समामेलन का आदेश जारी करता है।

31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार ऋणात्मक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित पहले से चले आ रहे मामलों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि बैंक विलय की उस योजना पर भी विचार कर सकते हैं जो जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत भुगतान की व्यवस्था हो, अंतरिती बैंक द्वारा वित्तीय योगदान और बड़े जमाकर्ताओं द्वारा बलिदान की व्यवस्था हो। विलय पर अंतरक बैंक को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए गए थे। इन अतिरिक्त प्रोत्साहनों में शामिल हैं : अंतरक बैंक की हानि उठाने वाले शाखाओं को बंद करने की अनुमति, अंतरक बैंक की शाखाओं का परिचालन क्षेत्र के भीतर स्थान परिवर्तन/अन्यत्र गमन, उन सुविधाओं को बनाए रखना जैसे कि प्राथमिक व्यापारी लाइसेंस जहां सतत आधार पर 12 प्रतिशत का सीआरआर का उच्च स्तर बनाए रखना निर्दिष्ट किया गया था बशर्ते बैंक ने 9 प्रतिशत का बेंचमार्क सीआरएआर बनाए रखा हो, किसी राज्य से बाहर पंजीकृत अन्य शहरी सहकारी बैंक के अधिग्रहण के कारण बहुराज्य बैंक बनने के लिए 50 करोड़ रुपए का न्यूनतम प्रवेश मानदंड पर जोर नहीं दिया जा रहा है।

इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जारी होने के अनुसरण में रिज़र्व बैंक को 104 बैंकों के संबंध में विलय हेतु 119 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 82 मामलों में रिज़र्व बैंक ने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किए हैं। इनमें से 71 विलय संबंधित सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस)/ सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) द्वारा सांविधिक आदेश जारी किए जाने के बाद अमल में आए। रिज़र्व बैंक द्वारा विलय हेतु प्राप्त 21 प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए थे और 3 प्रस्ताव बैंकों द्वारा वापस ले लिए गए थे तथा शेष 13 विचाराधीन हैं। 71 बैंकों, जिनके विलय के संबंध में सीआरसीएस/आरसीएस से आदेश प्राप्त हो चुके थे, में से 44 बैंकों की निवल मालियत नकारात्मक थी। इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लाभ अर्जित करने वाले बैंकों को और कुछ मामलों में क्योंकि उन्हें दीर्घावधि में स्टैंड अलोन आधार पर व्यवहार्य नहीं माना गया था, विलय की अनुमति दी गयी थी ।

ग्रामीण सहकारी समितियां

VI.69 भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्थाओं को पुनरुज्जीवित करने और इन संस्थाओं के लिए एक उचित विनियामक ढांचा सुझाने हेतु एक कार्य योजना प्रस्तावित करने हेतु अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों के पुनरुज्जीवन के संबंध में एक कार्यदल गठित किया था। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस कार्यदल ने भी देश में दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन के संबंध में एक अध्ययन प्रारंभ किया था (बॉक्स VI.6)।

VI.70 रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का नियंत्रण करता है, जबकि नाबार्ड उनका पर्यवेक्षण करता है। 31 राज्य सहकारी बैंकों में से मात्र 14 को और 371 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 75 को अब तक रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 42 के अधीन 16 राज्य सहकारी बैंकों को भी अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है।

VI.71 सीएसएफए ने टिप्पणी की थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता थी कि वर्ष 2012 तक सहकारी आकाश में केवल लाइसेंस शुदा बैंक ही काम करें। इससे समेकन और सहकारी आकाश से अव्यवहार्य इकाईयों को निकाल बाहर करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तदनुसार, वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गयी थी कि नाबार्ड के परामर्श से एक बाधा रहित ढंग से इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस मामले में नाबार्ड के साथ चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

VI.72 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के माध्यम से समेकन की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है और इसके परिणामस्वरूप मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या घटकर 86 रह गयी (जिसमें पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में नव गठित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है) और 31 जुलाई 2009 को यह और घटकर 84 हो गई । नकारात्मक निवल मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है

बॉक्स VI.6
सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन

देश के सभी क्षेत्रों में बैंकों और बैंकेतर संस्थाओं के महत्त्वपूर्ण फैलाव के बावजूद अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण ढांचे के सतत महत्त्व को स्वीकार करते हुए तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों में सहकारी ऋण ढांचे के गहरी जड़ें जमा चुके एकीकरण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन के संबंध में एक कार्य दल (अध्यक्ष : प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन) गठित किया था। इस कार्यदल ने फरवरी 2005 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार ने अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन हेतु एक पैकेज अनुमोदित किया था। इस ढांचे में ग्राम/आधार स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), मध्य स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) और शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक रहते हैं। इस पुनरुज्जीवन पैकेज का लक्ष्य ग्रामीण भारत की ऋण आवश्यकता पूरी करने विशेष रूप से छोटे और सीमांत कृषकों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे को एक सुव्यवस्थित तथा दमदार माध्यम बनाने के लिए इसे पुनरुज्जीवित करना है। यह पैकेज (i) प्रणाली के स्वास्थ्य को स्वीकार्य स्तर तक लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने; (ii) इसके प्रजातांत्रिक, आत्मनिर्भर और दक्ष रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक कानूनी और संस्थागत सुधारों को लागू करने तथा; (iii) प्रबंध की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय खोजता है।

इस पुनरुज्जीवन पैकेज के अंतर्गत कुल वित्तीय सहायता 13,596 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। इस वित्तीय पैकेज के निधीयन हेतु देयता हानियों के उद्गम और विद्यमान वचनबद्धताओं के आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी ऋण ढांचे द्वारा साझा की जाएगी। यह वित्तीय सहायता कानूनी और संस्थागत सुधारों के लिए की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन पर ही जारी की जाएगी। इसमें भाग लेने के इच्छुक राज्यों को केंद्र सरकार और नाबार्ड के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे। अब तक 25 राज्यों ने इस पैकेज के अधीन की गयी परिकल्पना के अनुसार भारत सरकार और नाबार्ड के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह देश में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे की इकाईयों के 96 प्रतिशत से भी अधिक को कवर करता है।

जून 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार 10 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश ने अपने सहकारी समितियां अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए। चूंकि छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अपने नए राज्य सहकारी समितियां अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किए है अतः मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया है जिसमें सुधार उपायों के संबंध में संशोधन करने का अनुमोदन दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मिज़ोरम, मणिपूर, मेघालय के सहकारी समितियां अधिनियमों में संशोधन करने के प्रारूप विचाराधीन हैं।

जैसा कि इस पुनरुज्जीवन पैकेज में अपेक्षित था, रिज़र्व बैंक ने नाबार्ड के माध्यम से संबंधित बैंकों के बीच परिचालनार्थ राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए 'योग्य और उचित' मानदंड निर्दिष्ट किए हैं। 30 जून 2009 की स्थिति के अनुसार 10 राज्यों यथा - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्पूंजीकरण हेतु भारत सरकार के हिस्से के रूप में नाबार्ड द्वारा 6,170.3 करोड़ रुपए की सकल राशि जारी की गई, जबकि राज्य सरकारों ने 614.8 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा जारी किया। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति अखिल भारतीय आधार पर पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है और उसकी निगरानी कर रही है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे का अध्ययन इसी कार्यदल को सौंपा गया था। यह रिपोर्ट अगस्त 2006 में प्रस्तुत की गयी थी। वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गयी थी कि दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन हेतु पैकेज की विषयवस्तु के बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक सहमति पर पहुंच गयी थीं। इस पैकेज की लागत 3,074 करोड़ रुपए अनुमानित की गयी थी जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 2,642 करोड़ रुपए होगा।

और जुलाई 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार 1,796 करोड़ रुपए की राशि के साथ 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूरी तरह से पुनर्पूंजीकृत हो चुके थे ।

VI.73 28 फरवरी 2009 से प्रारंभ पखवाड़े से उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर दंड लगाया जाता है जो एसएलआर बनाए रखने में चूक करते हैं । 31 मार्च 2009 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलनपत्र को प्रकाशित करने के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 31 के दायरे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदत्त छूट भी समाप्त कर दी गयी है।

VI.74 वर्ष 2008-09 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेन्सीकरण नीति को और उदार बनाने के लिए किए गए उपायों में शामिल है अब तक कवर न किए गए जिलों में शाखाएं खोलने और सेवा शाखाएं/केंद्रीय संसाधन केंद्र/बैक ऑफिस खोलने के लिए शर्तों में ढील। 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ने शाखाएं खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 780 लाइसेंस प्रदान कीए जिसमें से 690 शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

VI.75 सीएफएसए ने इन इकाईयों के समेकन के पश्चात पुनर्पूंजीकरण के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में चरणबद्ध

रूप से सीआरएआर शुरू करने को सुझाव दिया था। अतएव, 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में पुनर्पूंजीकरण और समामेलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सीआरएआर प्रारंभ करने की घोषणा की गयी थी। इस प्रयोजन हेतु नाबार्ड के परामर्श से एक समय-सारणी घोषित की जाएगी। तदनुसार, नाबार्ड को सूचित किया गया है कि उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए, जिनका सीआरएआर 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार 1 प्रतिशत से कम था, एक कार्यदल गठित करें जो बैंकवार की जाने वाली कार्रवाईयां सुझाएगा जिससे कि वे मार्च 2010 तक 7 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर सकें।

VI.76 उचित प्रौद्योगिकी अपनाने और बेहतर ग्राहक सेवा हेतु कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स में जाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तैयार करने के उद्देश्य से एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री जी. श्रीनिवासन) गठित किया गया था ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स अपनाने हेतु एक रोड मैप तैयार किया जा सके। इस कार्यदल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कम्प्यूटरीकरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि जो प्रौद्योगिकीय गतिविधियां समूचे बैंकिंग क्षेत्र में फैल रही है उनसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अछूते नहीं रह सकते और ''सभी के लिए एक ही नीति'' नहीं लागू हो सकेगी। इस दल ने सुदूर क्षेत्रों में स्थित शाखाओं को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से बिजली प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की भी जांच की और सुझाव दिया कि यद्यपि सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना में प्रारंभिक लागत बहुत ऊंची होगी लेकिन सौर ऊर्जा से शाखाओं को बिजली प्रदान करने का कार्य दीर्घावधि में मिलनेवाले लाभों के कारण न्यायोचित रहेगा। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ कोर बैंकिंग सोल्यूशन में जाने का लक्ष्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सितंबर 2011 रखा गया है और सितंबर 2009 के बाद खोली जानेवाली सभी शाखाएं पहले दिन से ही कोर बैंकिंग वातावरण में काम करनेवाली होंगी। यह रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी प्रायोजक बैंकों को अग्रेषित की गई थी।

VI.77 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अपनाने योग्य विभिन्न आइसीटी-आधारित सोल्यूशनों का पता लगाने और लागत तत्वों की पहचान करने तथा ऐसे आइसीटी सोल्यूशन के निधीयन का तरीका और मापदण्डों की सिफारिश करने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री जी. पद्मनाभन) गठित किया गया था। इस दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा की जाने वाली वित्तीय समावेशन विषयक पहलों के अंगीकरण में आनेवाली मौजूदा कठिनाईयों, वित्तीय और संरचनागत दोनों ही, की जांच की और इसमें उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकीय विकल्पों की भी खोज़ की तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आइसीटी सोल्यूशन के वित्तपोषण में रिज़र्व बैंक की सहायता के तरीके सुझाए। 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गयी थी कि पता लगाए गए उन जिलों में जहां उच्च स्तर का वित्तीय वर्जन था उन जिलों में वित्तीय समावेशन हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले आइसीटी सोल्यूशन के लिए सहायता देने का तरीका निर्धारित करने के लिए नाबार्ड के परामर्श से एक योजना तैयार की जाएगी।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआइएफआइ)

VI.78 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित की जाने वाली चार संस्थाएं थीं यथा - एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी। उभरती वैश्विक गतिविधियों और वित्तीय संस्थाओं पर उनके प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में एचएफसी/एनबीएफसी/एमएफआइ और निर्यातकों को आगे उधार देने के लिए चलनिधि समर्थन हेतु चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से रिज़र्व बैंक को अनुरोध प्राप्त हुए थे और तदनुसार अनेक उपाय किए गए।

VI.79 दिसम्बर 2008 में रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 के संबंधित उपबन्धों के अंतर्गत सिडबी, एक्ज़िम बैंक और एनएचबी के लिए क्रमशः 7,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए और 4,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधाएं स्वीकृत की थीं। इस सुविधा के अंतर्गत उपर्युक्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनर्वित्त का लाभ लिया जाना 90 दिन की अवधि तक सीमित था और यह राशि इस अवधि के दौरान सुविधानुसार आहरित और चुकाई जा सकेगी। यह सुविधा रोलओवर की जा सकेगी तथा 31 मार्च 2010 तक उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा के अंतर्गत अग्रिमों पर रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर प्रभारित की जाती है। इस पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी निधियां संबंधित वित्तीय संस्था के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार उपयोग की जानी चाहिए और इन संस्थाओं के लिए विद्यमान एक्सपोज़र मापदण्डों का भी अनुसरण किया जाना चाहिए। निगरानी सुसाध्य बनाने के लिए इन वित्तीय संस्थाओं के लिए अनिवार्य है कि वे इस पुनर्वित्त सुविधा के उपयोग के संबंध में एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सारणी 6.7: पुनर्वित्त सुविधाओं का उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	स्वीकृत पुनर्वित्त	26 जून 2009 तक आहरित संचयी राशि	26 जून 2009 तक संवितरित संचयी राशि	हिताधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
सिडबी	7,000	5,684	4,971	33 *
		988	1,043	22 **
		7,747	1,841	5,179
एक्ज़िम बैंक	5,000	3,000	3,478	35
एनएचबी	4,000	3,979	3,979	14 #

* : राज्य वित्त निगम और बैंक
**: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
: आवास वित्त कंपनियां

इस विशेष पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत बकाया राशियां प्रत्येक संस्था के लिए फरवरी 2009 तक छोटी रहीं किन्तु बाद के महीनों में ये बढ़ने लगीं (सारणी 6.7)।

VI.80 08 दिसम्बर 2008 से सिडबी, एनएचबी और एक्ज़िम बैंक द्वारा शर्तों के अधीन जुटाये गये सकल संसाधनों की उच्चतम सीमा एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गयी है। अग्रिमों की पुनर्संरचना के संबंध में बैंकों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत यथोचित परिवर्तनों के साथ इन चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू किए गए हैं। तथापि, वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामान्य रूप से न चलाए जानेवाली कतिपय गतिविधियों जैसे कार्यशील पूंजी, ओवरड्राफ्ट और वैयक्तिक ऋण से संबंधित प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

VI.81 पारम्पारिक रूप से जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) उनके कार्य करने के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विवेकसम्मत विनियमों के अधीन थी जबकि जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी) न्यूनतम विनियम के अधीन। वित्तीय क्षेत्र के बढ़ते एकीकरण को देखते हुए यह महसूस किया गया था कि वित्तीय सेवाएं प्रदान करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण सभी संबंधित इकाइयों को एक उचित विनियामक ढांचे के अंतर्गत लाया जाना चाहिए जिससे कि प्रणालीगत जोखिम नियंत्रित रखी जा सके। अतः,पहले कदम के रूप में, दिसंबर 2006 में पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकारवाली जमाराशियां स्वीकार न करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) कहा गया था और ऐसी इकाईयों के लिए 01 अप्रैल 2007 से एक विशिष्ट विनियामक ढांचा स्थापित किया गया था।

VI.82 इस विनियामक ढांचे के अनुभवों की समीक्षा पर यह वांछनीय महसूस किया गया था कि इनके लिए पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा बढ़ायी जाए तथा प्रकटीकरण हेतु मानदण्डों के साथ-साथ चलनिधि प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाएं। इस प्रकार, एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2010 तक 12 प्रतिशत का और 31 मार्च 2011 तक 15 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर हासिल करें।

VI.83 अप्रैल 2008 में, अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदण्ड तथा एएमएल/सीएफटी मानकों से संबंधित मौजूदा अनुदेशों की ग्राहकों को पहचानने के संबंध में समीक्षा की गयी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की भावना को ध्यान में रखा और उन लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों से बचाया जो अन्यथा कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किए गए थे। यह सूचित किया गया था कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित की गयी भारी जोखिमवाले लोगों और इकाईयों की समेकित सूची अद्यतन बनानी चाहिए। इसके अलावा, ऐसे लोगों/इकाइयों की यह अद्यतन सूची संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट से भी देखी जा सके। उनके नए ग्राहकों के नाम जहां इस सूची में दिखायी नहीं देने चाहिए वहीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे अपनी भर्ती/किराये पर लेने की अपनी प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में एक पर्याप्त जांच व्यवस्था भी रखें। पीएमएलए, 2002 के अधीन अधिसूचित नियमों तथा सीसीआर और एसटीआर के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरणों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व अगस्त 2008 में संशोधित किए गए थे। ये वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए अनुदेशों के अनुरूप थे।

VI.84 जमाराशियां स्वीकार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय स्थितियों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक नपी-तुली चाल सुनिश्चित करने के लिए जून 2008 में 200 लाख रुपए से कम की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियोंवाली एनबीएफसी-डी से कहा गया था कि वे अपनी जमाराशियां अवरुद्ध करें और इसे घटाकर जमाराशियों की संशोधित उच्चतम सीमा तक ले आएं जो बदले में उस सीमा पर निर्भर थी जितनी कि उनकी निवल स्वाधिकृत निधियां निर्दिष्ट किए गए न्यूनतम 200 लाख रुपए से कम थीं।

VI.85 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, के पर्यवेक्षण में सांविधिक लेखा परीक्षक रिज़र्व बैंक की सहायता

करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तब से बदले हुए परिचालनीय वातावरण को देखते हुए अद्यतन तथा समेकित अनुदेश जिसमें एनबीएफसी-डी के साथ-साथ एनबीएफसी-एनडी दोनों के ही पर्यवेक्षणों को कवर करने वाले अनुदेश एनबीएफसीओं के लेखा परीक्षकों को सितंबर 2008 में जारी किए गए थे।

VI.86 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक किन्तु 100 करोड़ रुपए से कम के आस्ति आकार वाली एनबीएफसी-एनडी (जिनका पहले पर्यवेक्षण नहीं किया जाता था) पर फोकस बढ़ाने के लिए यह निर्णय दिया गया था कि तिमाही अंतरालों पर 50 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए के बीच के आस्ति आकार वाली जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से मौलिक सूचना मंगायी जाए। बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमा स्वीकार करने वाली और जमा न स्वीकार करने वाली दोनों ही) से कहा गया था कि वे रेटिंग में होने वाले ऐसे किसी परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर उनके द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी वित्तीय उत्पाद को दी गयी रेटिंग को गिराने/ऊपर करने के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें।

VI.87 सितम्बर 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के गहरा जाने के कारण घरेलू पूंजी बाजारों में कुछ तात्कालिक असर महसूस किया गया था जिसके परिणामस्वरूप म्युच्यूअल फंडों पर मोचन का दबाव पैदा हो गया जिसकी वजह से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए चलनिधि की समस्याएं पैदा हो गयी थीं। इसकी प्रतिक्रिया में, रिज़र्व बैंक ने विशेषरूप से बैंकों के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत विशेष मीयादी रिपो दर प्रारंभ की थी ताकि म्युच्यूअल फंडों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधीयन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चलनिधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अक्तूबर 2008 से रिज़र्व बैंक द्वारा उठाये गये सावधानीपरक उपाय निम्नानुसार हैं :

(i) कारोबार बढ़ाने और विनियामक अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बढ़ी हुई निधियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि एनबीएफसी-एनडी-एसआइ निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्थायी ऋण लिखतें (पीडीआइ) जारी करके अपनी पूंजी निधियां बढ़ा सकेंगी । ऐसे स्थायी ऋण लिखत पिछले लेखा वर्ष की 31 मार्च के स्थिति के अनुसार कुल टीयर I पूंजी के 15 प्रतिशत की सीमा तक टीयर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु प्राप्त होंगे और अतिरिक्त राशि पात्र सीमाओं के भीतर टीयर II पूंजी के रूप में मानी जाएगी। ऐसे प्रत्येक निर्गम/श्रृंखला में एकल निवेशक द्वारा किया जाने वाला न्यूनतम निवेश 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ द्वारा जुटायी गयी निधियों की राशि इस संबंध में रिज़र्व बैंक के निदेशों में दिए गए अर्थ के भीतर 'जनता जमाराशि' नहीं मानी जाएगी।

(ii) मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में चलनिधि और एएलएम विसंगतियों की समस्याओं से जूझ रही एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को एक अस्थायी उपाय के रूप में कतिपय शर्तों के अधीन अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधार जुटाने की अनुमति दी गयी थी।

(iii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक क्रेडिट का प्रवाह सरल बनाने के उद्देश्य से कतिपय परिवर्तन प्रारंभ किए गए थे जो निम्नानुसार हैं : (क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में किया जाने वाला मानक आस्ति प्रावधानीकरण 2.0 प्रतिशत से घटाकर 0.4 प्रतिशत कर दिया गया था; (ख) एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को बैंकों के एक्सपोज़र पर जोखिम भार पहले के 125 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया, चाहे क्रेडिट रेटिंग जो भी हो, जबकि एएफसी को एक्सपोज़र जिस पर 150 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाता था वह भी घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया और (ग) विशेष रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और म्युच्युअल फंडों की निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों के एनडीटीएल के 1.5 प्रतिशत की सीमा तक एसएलआर रखने में ढील के माध्यम से एलएएफ खिड़की से चलनिधि सहायता का लाभ उठाने के लिए अस्थायी आधार पर बैंकों को अनुमति दी गयी थी।

(iv) एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को अपने परिचालनों में अस्थायी चलनिधि विसंगतियों को दूर करने के लिए विशेष प्रयोजन के साधन (एसपीवी) के माध्यम से पात्र एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक योजना प्रारंभ की गयी थी। यह परिचालन प्रारंभ करने हेतु आइडीबीआइ स्ट्रेस्ड एसेट एस्टेबिलाइजेशन फंड (एसएएसएफ) को विशेष प्रयोजन के साधन के रूप में अनुसूचित किया गया था। यह एसपीवी अस्थायी चलनिधि विसंगतियों को दूर करने के लिए पात्र एनबीएफसी-एनडी-एसआइ से अल्पावधि पेपर खरीदेगा। ये लिखतें वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और जमाराशि प्रमाणपत्र (सीडी) होंगी जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता तीन महीने से अधिक नहीं होगी तथा उन्हें निवेश ग्रेड के रूप में रेट किया जाएगा। यह सुविधा 30 सितंबर 2009 के बाद जारी किए गए किसी भी पेपर को उपलब्ध नहीं होगी तथा यह एसपीवी

बॉक्स VI.7
चलनिधि संकट - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निहितार्थ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, म्युच्युअल फंडों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच निधीयन के परस्पर अंतर-संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जब वैश्विक वित्तीय संकट की महामारी ने भारत के शेयर बाजारों में बिक्री के दबाव पैदा किए तो रिज़र्व बैंक को प्रणाली की चलनिधि की आवश्यकताएं समग्र रूप में पूरी करनी पड़ीं। अमरीकी और यूरोपीय बाज़ारों के प्रसार प्रभाव से म्युच्युअल फंडों पर मोचन का भारी दबाव पैदा हो गया जो सितंबर 2008 से प्रारंभ हुआ क्योंकि बहुत से निवेशकों, विशेषकर संस्थागत निवेशकों ने तरल निधियों/मुद्रा बाजार निधियों में अपने निवेशों का मोचन प्रारंभ कर दिया था। बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले वाणिज्यिक जमापत्रों के अलावा म्युच्युअल फंड वाणिज्यिक पत्रों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले डिबेंचरों के प्रमुख ग्राहक हैं। म्युच्युअल फंडों द्वारा मोचन के दबावों का सामना करने और परिपक्व हो रहे निवेशों को रोलओवर करने में कठिनाईयों के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मिलने वाले निधियों के प्रमुख स्रोत समाप्त हो गये। इसलिए बाजार निधीयन तक नियमित पहुंच के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किये गये अल्पावधि लिखत जो परिपक्व हो रहे हैं, उनके रोलओवर के लिए कोई बाजार नहीं था। इसके अलावा, यह रिपोर्टें मिल रही थीं कि नकदी के संकट ने भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देने में बैंकों में हिचक पैदा की। इससे इस अवधारणा को भी बल मिला कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां गंभीर चलनिधि समस्याओं का सामना कर रही हैं। ज़मीनी वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन प्रारंभ किया गया था जिसमें ढेर सारी एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के साथ चर्चाएं भी शामिल थीं।

ये चर्चाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सामना की जा रही चलनिधि की तात्कालिक समस्याओं और इस स्थिति को दूर करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये उपायों के साथ उनके अनुभवों पर केन्द्रित थीं। इन चर्चाओं के लिए फोकस क्षेत्र थे : (i) आस्तियों और देयताओं का स्वरूप, संघटन और परिपक्वता पैटर्न; (ii) कंपनियों द्वारा सामना की जा रही चलनिधि विषयक समस्याएं/ कठिनाईयां; (iii) ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए किये गये उपाय; (iv) रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये समाधानकारक उपायों के संबंध में फीड बैक; (v) निकट भविष्य में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कारोबारी रणनीति/योजनाएं जिसमें अल्पावधि निधियों के प्रतिस्थापन, तुलन-पत्र को छोटा करने की संभावना और वृद्धि संबंधी योजनाएं, आदि शामिल हैं और (vi) रिएल स्टेट/पूंजी बाजार एक्सपोज़र।

चर्चाओं से यह बात उभरी कि बदलती बाजार परिस्थिति के प्रति उनकी चलनिधि संवेदनशीलता के आधार पर उन्हें चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकेगा। पहले समूह वाली कंपनियों के पास दीर्घावधि देयताओं वाली वित्तपोषित आस्तियां और छोटी मात्रा में वाणिज्यिक पत्र थे तथा उनकी आस्ति-देयता विसंगतियां नहीं थीं क्योंकि उनके पास मुख्य रूप से अल्पावधि आस्तियां और बैक-अप लाइन आफ क्रेडिट भी था। उन्होंने सबसे बड़े समूह का गठन किया और चर्चाधीन कंपनियों की कुल आस्तियों के लगभग तीन चौथाई हिस्से को कवर किया था। अन्य अल्पसंख्यक समूह के पास आस्ति-देयता विसंगतियां थीं लेकिन इन कंपनियों के पास विदेशी अभिभावक थे जिनसे निधियां प्राप्त हो सकती थीं। इस समूह ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों के मात्र 2.0 प्रतिशत का ही प्रतिनिधित्व किया। कंपनियों के तीसरे समूह के पास अल्पावधि वाणिज्यिक पत्रों और बैंक निधियों के मिश्रण वाली वित्तीय आस्तियां थीं तथा उनकी विसंगतियां स्वीकार्य सीमाओं के भीतर थीं। उनके पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों का लगभग 6.0 प्रतिशत हिस्सा था। कंपनियों के अंतिम समूह के पास दीर्घावधि आस्तियां और अल्पावधि देयताएं थीं तथा यह समूह चलनिधि समस्याओं का सामना कर रहा था। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों में इन कंपनियों का हिस्सा 17.0 प्रतिशत था।

इन कंपनियों के बीच आम धारणा थी कि निधियां महंगी हो गई थीं और बैंक उधारों से बाहर निधियां जुटाना उन बाजार परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत कठिन हो गया था। इसके अलावा, बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अतिरिक्त क्रेडिट देने या क्रेडिट बढ़ाने से भी हिचक रहे थे। कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने वृद्धिशील संवितरण रोक रखे थे क्योंकि वे अपनी अल्पावधि देयताओं को चुकाने के लिए अंतर्वाहों का उपयोग कर रहे थे तथा निधियों की अनिश्चितता उन्हें अपने तुलन-पत्रों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही थी।

ऋण देनेवाली कंपनियों को आशा थी कि चूक की घटनाओं में कुछ वृद्धि होगी क्योंकि उन्होंने जोखिम भरे क्षेत्रों यथा बेजमानती ऋणों और फुटकर वित्त में प्रवेश किया था। निवेश कंपनियों को उनके वाणिज्यिक पत्रों/डिबेंचरों, जिसके लिए अधिकांशतः म्युच्युअल फंडों और बैंकों का ही उन्हें मुख्य सहारा था, की ग्राहकी में कठिनाईयों का आभास होने लगा था। बहुत सी कंपनियों, विशेषरूप निवेश कंपनियों, जिनका पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण एक्सपोजर था, ने भी किसी प्रकार की चलनिधि समस्याओं के बारे में कभी नहीं बताया, सिवाय अक्तूबर 2008 के पहले कुछ सप्ताहों के दौरान। मोटे तौर पर ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि इन कंपनियों ने बाजार मूल्य के 50.0 प्रतिशत तक उधार दे रखा था और कुछ मामलों में 33.3 प्रतिशत तक उधार दे रखा था और इसके साथ नियमित मार्जिन काल जुड़ी हई थीं।

इस प्रकार, यद्यपि किसी समय यह व्यापक रूप से माना गया था कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वास्तव में महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना कर रही थीं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एक छोटे हिस्से के पास ही वास्तविक चलनिधि समस्याएं थीं और रिज़र्व बैंक का समय पर तथा पर्याप्त चलनिधि हस्तक्षेप इन समस्याओं का अल्पावधि ढांचे में निराकरण कर सकेगा।

31 दिसम्बर 2009 के बाद नयी खरीददारी करना बंद कर देगा तथा 31 मार्च 2010 तक सभी देयों की वसूली कर लेगा। आइडीबीआइ एसएएसएफ ट्रस्ट द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर 12.0 प्रतिशत होगी।

VI.88 इन कदमों ने उन बाजार दबावों से लड़ने में भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद की जो म्युच्युअल फंडों के चलनिधि और मीयादी परिपक्वता योजना वाले संविभागों पर बढ़ रहे थे। इस संदर्भ में नवम्बर 2008 के मध्य में बैंकों द्वारा म्युच्युअल फंडों/एनबीएफसी को जारी किए गए क्रेडिट के संबंध में इन उपायों/छूटों के प्रभाव की समीक्षा की गयी थी। इस समीक्षा से पता चला कि 14 अक्तूबर से 20 नवम्बर 2008 की अवधि के दौरान बहुत से बैंकों ने सीडी की जमानतों पर म्युच्युअल फंडों के निधीयन हेतु रिज़र्व बैंक की 14-दिवसीय विशेष स्थायी रिपो दर पर चलनिधि सहायता ली थी। कुछ बैंकों ने अपने नियमित एनबीएफसी ग्राहकों से प्राप्त होनेवाली राशियों की जमानत पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को किए जाने वाले अपने निधीयन के सामने रिज़र्व बैंक की 14-दिवसीय विशेष स्थायी

रिपो दर पर चलनिधि सहायता भी ली थी। समग्र रूप में, नीतिगत घोषणाओं का उन म्युच्युअल फंडों पर सीधा असर पड़ा जो चलनिधि समस्याओं से जूझ रहे थे (बॉक्स VI.7)।

VI.89 जनवरी 2009 में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशक मंडलों से कहा गया था कि वे ऋणों और अग्रिमों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर निर्धारित करने के लिए संबंधित कारकों को ध्यान में लेते हुए एक विधिवत प्रलेखित ब्याज दर मॉडल अपनाएं। वाहनों को फिर से अपने कब्जे में लेने के संबंध में उठाये गए प्रश्नों के संदर्भ में अप्रैल 2009 में रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया था कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधारकर्ताओं के साथ की जाने वाली संविदा / ऋण करार में एक पुनः कब्जे में लेने वाला शर्त खंड रखना चाहिए जो कि कानूनी रूप से लागू किया जा सकता हो। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस संविदा / ऋण करार की शर्तों में ऐसी प्रक्रियाओं के संबंध में प्रावधान भी होना चाहिए और ऐसी शर्तों की एक प्रति अनिवार्य रूप से उधारकर्ताओं को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

प्रतिभूतिकरण कंपनियां / पुनर्निर्माण कंपनियां

VI.90 रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2008 में प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्निर्माण कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले तिमाही विवरणों के फॉर्मेट संशोधित किये थे। ये संशोधित विवरण अन्य बातों के साथ-साथ एससी/आरसी (एफडीआई घटक सहित) की स्वाधिकृत निधियों की स्थिति के संबंध में आंकड़े; सरफेसी एक्ट, 2002 के अनुसार एससी/आरसी द्वारा बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण/वसूली की स्थिति और जारी की गयी, मोचन की गयी तथा विशेष तिमाही के अंत में बकाया प्रतिभूति रसीदों (एसआर) से संबंधित सूचना एकत्रित करेंगे।

VI.91 यह स्पष्ट किया गया था कि सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत एससी/आरसी न तो 'बैंक' है और न ही 'वित्तीय संस्था' है। अतः, अन्य एससी/आरसी से एससी/आरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों का अर्जन उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, अपने देयों की वसूली के एकमात्र प्रयोजन से अधिग्रहीत ऋण खातों की पुनर्संरचना प्रारंभ करने के लिए अपनी निधियों के विनियोजन पर कोई रोक नहीं होगी।

चार्ट VI.1 : जमाकर्ताओं को स्वीकृत संरक्षण का विस्तार

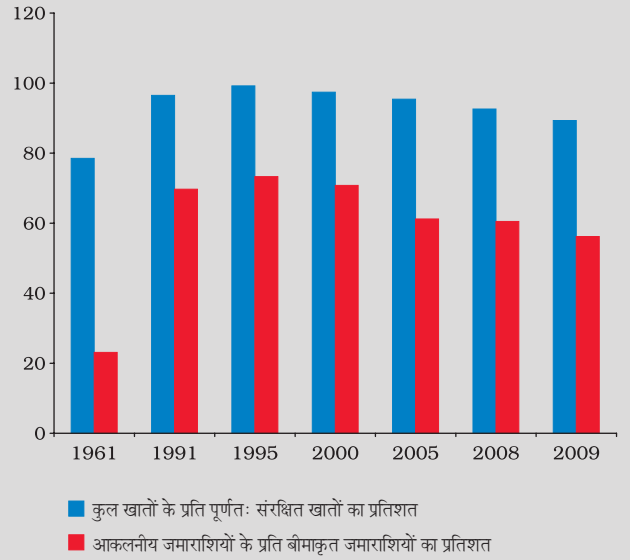

भारतीय निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

VI.92 वर्तमान में जमा बीमा योजना सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों को कवर करती हैं। 31मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत बीमित बैंकों की संख्या 2,307 थी। इनमें से 80 वाणिज्य बैंक, 86 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक और 2137 सहकारी बैंक थे। कुल खातों की संख्या से पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या के प्रतिशत के अर्थ में जमाकर्ताओं को दिए गए संरक्षण की सीमा तथा मूल्यांकित जमाराशियों से बीमित जमाराशियों की राशि 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 89.3 प्रतिशत और 56.2 प्रतिशत थी (चार्ट VI.1)। बीमा सुरक्षा का मौजूदा स्तर जो 1 लाख रुपए है वह प्रति व्यक्ति जीडीपी[3] के लगभग 3 गुने के वैश्विक औसत की तुलना में 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार प्रति व्यक्ति जीडीपी का 2.2 गुना है। 2008-09 के दौरान निगम ने एक वाणिज्यिक बैंक और 75 सहकारी बैंकों के संबंध में 228 करोड़ रुपए के मूल्य के कुल दावे निपटाए।

इस संकट के संदर्भ में विकसित हो रही विनियामक एवं पर्यवेक्षीय व्यवस्था

VI.93 इस वित्तीय संकट से मिले सबकों ने प्रणालियों को मजबूत बनाने और प्रणालीगत संकट से बचाव को दृष्टिगत

[3] 68 देशों की आंकड़ों पर आधारित - भारत सरकार द्वारा गठित वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति की रिपोर्ट (2009), मार्च, खंड III, पृष्ठ 309''

बॉक्स VI.8
इस संकट की प्रतिक्रिया स्वरूप उभरनेवाले विनियामक परिवर्तन : भारतीय स्थिति

विकसित देशों के इस वित्तीय संकट से अनेक विनियामक और पर्यवेक्षी मुद्दे सामने आए हैं। इन समस्याओं पर गहन चर्चा के उपरांत राष्ट्रीय विनियामक मोटे तौर पर अपनी वित्तीय स्थिरता संरचना को सुधारने के लिए निम्नलिखित बातों का उल्लेख कर रहे हैं :

i. समग्र लीवरेज अनुपात के साथ समर्थित पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर ही फोकस के साथ न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को सुदृढ़ बनाना।

ii. गतिशील प्रावधानीकरण अथवा प्रतिचक्रीय पूंजी अपेक्षाओं को लागू करने के माध्यम से विनियामक ढांचे (बासेल II) के साथ जुड़ी प्रचक्रीयता को कम करना।

iii. अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करने तथा वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था के प्रति पहले से जागरूक करनेवाली जोखिमों का अध्ययन करने के लिए समष्टि विवेकसम्मत विश्लेषण।

iv. भारी और जटिल बैंकों की निगरानी और पर्यवेक्षी विशेष रूप से उनका जिनकी सीमापारीय मौजूदगी में तथा सीमापारीय पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षी सहयोग के लिए 'पर्यवेक्षक समूह' संस्था है, की निगरानी और पर्यवेक्षण।

v. अलग-अलग बैंकों के जोखिम प्रबंध ढांचे को सुदृढ़ बनाना, विशेष रूप से तुलनपत्र से इतर मदों के लिए तथा व्यष्टि (अलग-अलग) और समष्टि (प्रणालीगत) स्तरों पर तनाव परीक्षण की आवश्यकता के लिए ।

vi. बैंक के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंध तंत्र द्वारा अंगीकरण हेतु 'योग्य और उचितट मानदंडों सहित कंपनी संचालन को सुदृढ़ बनाना।

vii. उन सभी बाजारों और संस्थाओं का विनियमन और पर्यवेक्षण करना जो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वे जनता से जमाराशियां न स्वीकार करनेवाली संस्थाएं हों/या सीधे व्यवहार न करनेवाली संस्थाएं हों।

viii. ओटीसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में केंद्रीय प्रतिपक्षी पार्टियां बनाना।

ix. ऋण हानियों की पहचान करने और उन्हें मापने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करना जो उपलब्ध ऋण सूचना की व्यापक श्रेणी समाविष्ट रखते हैं; उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) लेखांकन के साथ जुड़ी खराब व्यवस्था में कमी लाने के लिए संबद्ध मानकों में परिवर्तन करने की जांच करना, जिसमें जब आंकड़े या मॉडलिंग कमजोर हो तब मूल्यनों में सुधार शामिल है।

x. वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को वित्तीय लिखतों के मूल्यनों के इर्दगिर्द छायी अनिश्चितता का बेहतर तरीके से अनुमान लगाने के लिए वित्तीय लिखतों के लिए लेखांकन मानकों की जटिलता कम करना तथा मानकों के प्रस्तुतीकरण में सुधार लाना ।

देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनों को अनुकूल बनाते हुए समष्टि वित्तीय प्रणाली के लिए भारतीय विनियामक ढांचा उभरती अंतरराष्ट्रीय पहलों के प्रति उचित रूप से प्रतिक्रिया देगा। वित्तीय प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से वैश्वीकृत करते हुए भारत द्वारा सुविचारित और नपेतुले दृष्टिकोण के साथ अपनाया गया दृष्टिकोण जोखिम प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के अर्थ में प्रणाली की तैयारी के अनुरूप घरेलू वित्तीय प्रणाली पर इस छूत के नुकसानदायक सीधे प्रभाव से बचने में उपयोगी रहा जिसने इस संकट को काफी हद तक कम कर दिया। रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक और पर्यवेक्षी कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही के वर्षों में अनेक उपाय किए गए हैं। प्रतिचक्रीय विवेकसम्मत विनियमन जैसेकि जोखिम भारों और प्रावधानीकरण मानदंडों में उचित चक्रीय परिवर्तन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह संकट शुरू होने से पहले ही कार्यान्वित कर दिए गए थे। बैंकों, एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी के बीच 'विनियामक विवाचन' की संभावना को घटाने के लिए उपाय किए गए हैं। तथापि, उनके प्रणालीगत महत्व को देखते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) योजना मुहैय्या कराने की आवश्यकता है। पूंजी के निजी स्रोतों का प्रबंधन भारत में बड़ी चिंता की बात नहीं है क्योंकि जोखिम पूंजी निधियां और म्यूच्युअल फंड पंजीकृत है और सेबी द्वारा नियंत्रित है जबकि इस समय भारत में हेज फंड काम नहीं कर रहे हैं। वित्तीय बाजारों की उच्चस्तरीय समन्वयन समिति (एचएलसीसीएफएम) वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों यथा रिज़र्व बैंक, सेबी, आइआरडीए और पीएफआरडीए के बीच एक समन्वयन व्यवस्था उपलब्ध कराती है। यह अन्य तकनीकी समितियों/उप समितियों द्वारा समर्थित हैं जो विभिन्न विनियामकों के अधीन संस्थाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करती है जिनके क्षेत्र-परस्पर निहितार्थ हैं।

चूंकि विदेशी बैंकों सहित सभी भारतीय बैंक मार्च 2009 के अंत तक बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण अपना चुके हैं अतः वे अपने जोखिम प्रोफाईल की तुलना में प्रत्येक बैंक की पूंजी पर्याप्तता के साथ-साथ पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए बासेल II के स्तंभ 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) के अधीन होंगे। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने को स्पष्ट रूप से विभिन्न नीति दस्तावेजों में रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में मान्यता दी गयी है। अवधिक तनाव परीक्षण करने तथा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अपनी वार्षिक मौद्रिक नीति 2009-10 में की गयी घोषणा के अनुसार एक वित्तीय स्थिरता इकाई की भी स्थापना की है।

संदर्भ :

1. यूरोपियन यूनियन (2009), रिपोर्ट ऑफ द हाय लेवल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल सुपरविज़न इन द ईयू, (चेअरमैन : जैक्स द लेरोसियर), फरवरी 25।
2. जी 20 (2009), रिपोर्ट ऑफ द ग्रुप ऑन एनहॉन्सिंग साउंड रेग्युलेशन एण्ड स्ट्रेंग्थनिंग ट्रान्सपेरेंसी, (चेअरमैन : डॉ. राकेश मोहन), मार्च।
3. भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (2009) वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति की रिपोर्ट, (अध्यक्ष : डॉ. राकेश मोहन), मार्च ।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक (2009), मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट, 2006-08।

रखते हुए देशों के वित्तीय स्थिरता ढांचे को नया रूप देने के लिए जरूरी प्रोत्साहन और तर्क दिए हैं। पूरे विश्व में नीति-निर्माता इस बात का आकलन कर रहे हैं कि क्यों - और किस सीमा तक - वित्तीय प्रणाली के कतिपय पहलुओं ने बाजार की ज्यादतियों और भारी वित्तीय असंतुलनों को बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। वे इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि वित्तीय प्रणाली

और विनियामक तथा पर्यवेक्षी ढांचे में क्या परिवर्तन करना जरूरी होगा ताकि भविष्य में इस प्रकार के वित्तीय संकट से बचा जा सके (बॉक्स VI.8)। अंतरराष्ट्रीय रूप से क्षेत्राधिकार की शक्तियों, परिचालनीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अर्थ में बहुत देश मौजूदा विनियामक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं। अमरीका द्वारा जून 2009 में की गई वित्तीय विनियमन समीक्षा एक 'प्रणालीगत जोखिम नियंत्रण' शुरू की है जो ''वित्तीय सेवा पर्यवेक्षण परिषद'' को शामिल करेगी जो अन्य भूमिकाओं में नीति का समन्वयन करेगी तथा उभरनेवाली जोखिमों की पहचान करेगी। इंग्लैंड में एक नया बैंकिंग अधिनियम लागू किया गया है जो वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य से संबंधित एक सांविधिक भूमिका बैंक ऑफ इंग्लैंड को सौंपता है तथा फेल होनेवाले बैंकों के साथ व्यवहार करने में एक नई विशेष प्रस्ताव व्यवस्था भी लागू करता है। यूरोपीय यूनियन का एक नया *प्रणालीगत जोखिम बोर्ड* पूरे यूरोपीय यूनियन में प्रणालीगत जोखिम की पहचान करता है और उन्हें दूर करने के लिए उचित नीतिगत सिफारिशें करता है। मलेशिया में एक नया केंद्रीय बैंक कानून वित्तीय स्थिरता में केंद्रीय बैंक की भूमिका को स्पष्टता प्रदान करता है। बीआइएस स्तर पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड का गठन किया गया है और जी-20 द्वारा महत्वपूर्ण नयी पहलें भी की गई हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओंका समग्र फोकस दूसरे प्रणालीगत संकट बचाने पर है।

समष्टि आर्थिक विवेकसम्मत संकेतकों की समीक्षा

VI.94 समष्टि आर्थिक विवेकसम्मत संकेतकों (एमपीआई) का समेकन और समीक्षा मार्च 2000 से अर्ध-वार्षिक आधार पर की जाती थी। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के समक्ष रखी गयी समीक्षा में *कैमेल्स* ढांचे पर समष्टि आर्थिक समुच्चयों और वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, शहरी सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैकों के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कवर किया गया है। हाल ही में, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार एमपीआई समेकन की बारंबारता अर्ध-वार्षिक से बदलकर तिमाही कर दी गयी थी और इस समीक्षा की व्याप्ति बढ़ा दी गयी थी ताकि बैंकों की संवेदनशीलता, प्रणालीगत रूप से महत्वूपर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय विवरणों के आकलन और वित्तीय प्रणाली की कारगर चौकसी की बदलती आवश्यकताओं के प्रति इसे अधिक प्रासांगिक बनाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों को शामिल किया जा सके। एमपीआइ की तिमाही समीक्षा मासिक बैंकिंग प्रणाली दृष्टिकोण को तैयार करके जिसमें उच्च आवृत्ति वाले बाज़ार आंकड़े तथा समष्टि आर्थिक आंकड़े के साथ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रों के विश्लेषण का समावेश रहता है, अनुपूरित की जाती है। इस संशोधित तिमाही एमपीआइ समीक्षा की व्यापक संरचना में समष्टि आर्थिक संकेतकों का मूल्यांकन, बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के लिए दृष्टिकोण जो उनकी क्रेडिट/बाज़ार/ चलनिधि जोखिम को प्रभावित करता

सारणी 6.8 : चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	विकास वित्त संस्थाएं	प्राथमिक व्यापारी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
1	2	3	4	5	6	7
सीआरएआर	2008	13.0	11.8	26.3	37.5	22.4
	2009	13.2	12.6	25.5	34.8	18.3
सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक आस्तियां	2008	2.4	13.9	0.6	अनु.	1.5
	2009	2.4	11.5	0.3	अनु.	1.7
निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां	2008	1.1	2.9	0.12	अनु.	-8.7
	2009	1.1	2.3	0.07	अनु.	-0.4
कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ	2008	0.99	0.8	1.4	2.5	2.9
	2009	1.02	1.2	1.2	6.6	अनु.
इक्विटी पर प्रतिलाभ	2008	12.5	अनु.	10.7	10.7	16.9
	2009	13.3	अनु.	9.3	21.5	अनु.
दक्षता (लागत/आय अनुपात)	2008	48.9	56.4	19.4	25.4	68.5
	2009	45.3	53.2	15.9	11.7	अनु.

अनु. : अनुपलब्ध

टिप्पणी : 1. अलेखा परीक्षित और अनंतिम आंकड़े

2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित 2009 के आंकड़े सितंबर 2008 को समाप्त अवधि से संबंधित हैं।

3. अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए सीआरएआर में माधवपुरा मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल नहीं है।

स्रोत : 1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक : बैंकों द्वारा प्रस्तुत परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां केवल उनके देशी परिचालनों से संबंधित हैं; सीआरएआर संबंधी आंकड़े वैश्विक तुलनपत्र पर आधारित है।

2. शहरी सहकारी बैंक : परोक्ष चौकसी विवरणियां

सारणी 6.9 : अनुसूचित वाणिज्य बैंक - सीआरएआर का बारंबारता बंटन

(प्रतिशत)

बैंक समूह	मार्च के अंत में	ऋणात्मक	0 और 9 प्रतिशत से कम	9 और 10 प्रतिशत के बीच	10 और 15 प्रतिशत के बीच	15 प्रतिशत और उससे अधिक	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2008	0	0	0	28	0	28
	2009	0	0	1	26	0	27
राष्ट्रीयकृत बैंक	2008	0	0	0	20	0	20
	2009	0	0	1	19	0	20
भारतीय स्टेट बैंक समूह	2008	0	0	0	8	0	8
	2009	0	0	0	7	0	7
निजी क्षेत्र के बैंक	2008	0	0	1	17	5	23
	2009	0	0	0	16	6	22
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक*	2008	0	0	1	10	4	15
	2009	0	0	0	12	3	15
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2008	0	0	0	7	1	8
	2009	0	0	0	4	3	7
विदेशी बैंक	2008	0	0	1	7	20	28
	2009	0	0	0	7	23	30
सभी बैंक	2008	0	0	2	52	25	79
	2009	0	0	1	49	29	79

टिप्पणी : अलेखापरीक्षित और अनंतिम आंकड़े

स्रोत : बैंकों द्वारा उनके केवल देशी परिचालनों के संबंध में प्रस्तुत की गयी परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां।

है, सत्याभाषी तनाव परिदृश्यों के प्रति बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों का लचीलापन, उनके वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और समष्टि आर्थिक संकेतकों और संस्था के जोखिम के स्वरूप के आलोक में वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन कवर किया जाता है।

VI.95 वर्ष 2008-09 के लिए एमपीआइ का विहगावलोकन वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख घटकों के कुछ संकेतों में क्षरण दर्शाता है (सारणी 6.8)। 2008-09 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतकों पर अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था जो विशेषकर सितंबर 2000 के मध्य के बाद वैश्विक आर्थिक मंदी से उत्पन्न हुई थीं। इस संकट ने वित्तीय बाजारों के सभी खण्डों को बुरी तरह प्रभावित किया जहां बैंक सक्रिय रूप से कार्य करते थे यथा क्रेडिट बाजार, मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, इक्विटी बाजार और बाण्ड बाजार। चार व्यापक मापदण्डों यथा कारोबार वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के अंतर्गत 2008-09 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन विश्लेषण बताता है

सारणी 6.10 : चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का सीआरएआर और निवल अनर्जक आस्तियां

(मार्च 2009 के अंत में)

(प्रतिशत)

वित्तीय संस्था	सीआरएआर	निवल अनर्जक आस्तिया (करोड़ रुपए)	निवल ऋणों से निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3	4
मीयादी उधारदात्री संस्थाएं (टीएलआइ)			
एक्जिम बैंक	16.77	79.08	0.23
सभी टीएलआइ	**16.77**	**79.08**	**0.23**
पुनर्वित्त संस्थाएं (आरएफआइ)			
नाबार्ड	27.96	20.82	0.02
एनएचबी	18.17	0	0
सिडबी	36.03	26.07	0.08
सभी आरएफआइ	**28.60**	**46.89**	**0.03**
सभी एफआइ	**25.49**	**125.97**	**0.07**

स्रोत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत परोक्ष विवरणियां

चार्ट VI.2: रिपोर्ट करने वाली एनबीएफसी के सीआरएआर का बारंबारता बंटन

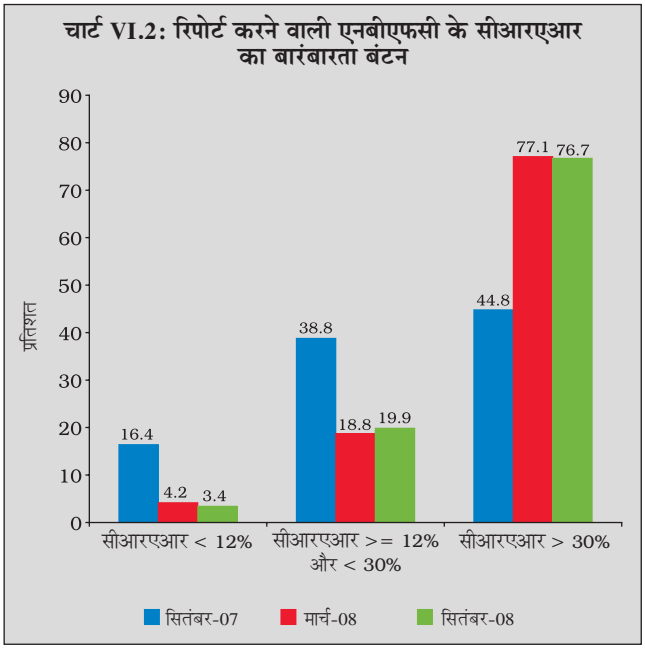

कि जहां कारोबार की वृद्धि मंद पड़ी वहीं अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय चेतावनी उपाय सतत स्थिर और सुगम बने रहे।

पूंजी पर्याप्तता

VI.96 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरएआर लगातार 9.0 प्रतिशत के न्यूनतम निर्दिष्ट स्तर से ऊपर बना रहा(सारणी 6.9)। वास्तव में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कोर (टीयर I) सीआरएआर स्वयं ही मार्च 2009 के अंत में 9.0 प्रतिशत था (लगभग उतना ही जितना कि मार्च 2008 के अंत में था), जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए सीआरएआर में बेहतर गुणवत्ता वाली पूंजी के उच्च अनुपात को दर्शाता है। लेकिन अभी भी बैंकों के लिए अतिरिक्त उच्च और निम्न टीयर II पूंजी जुटाने के लिए काफी गुंजाइश बची हुई है। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर मार्च 2008 के अंत की स्थिति की तुलना में मार्च 2009 के अंत में अधिक था (संदर्भ सारणी 6.8)। 53 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में से 43 शहरी सहकारी बैंकों के सीआरएआर 9 प्रतिशत और उससे अधिक थे जबकि 8 शहरी सहकारी बैंकों के सीआरएआर 3 प्रतिशत से कम थे।

सारणी 6.11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंक - निष्पादन संकेतक

(प्रतिशत)

मद/बैंक समूह	2007-08	2008-09	2008-09			
			ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7
परिचालन व्यय/कुल आस्तियां *						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8
सरकारी क्षेत्र के बैंक	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5
विदेशी बैंक	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7
निवल ब्याज आय/कुल आस्तियां*						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.2
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.4	2.6	2.7	2.8	2.8	2.6
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.4	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9
विदेशी बैंक	3.8	3.9	3.8	3.7	3.9	3.9
निवल लाभ/कुल आस्तियां*						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
सरकारी क्षेत्र के बैंक	0.9	0.9	0.6	0.8	0.9	0.9
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	1.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1
विदेशी बैंक	1.8	1.7	2.7	1.8	1.7	1.7
सकल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियां**						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.3	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.9	3.6	3.2	3.4	3.4	3.6
विदेशी बैंक	1.9	4.2	1.9	2.1	2.8	4.2
निवल अग्रिमों से निवल अनर्जक आस्तियां**						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1
सरकारी क्षेत्र के बैंक	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9
निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.4	1.6	1.5	1.6	1.7	1.6
विदेशी बैंक	0.8	1.7	0.7	0.9	1.1	1.7
सीआरएआर**						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	13.0	13.2	12.7	12.5	13.1	13.2
सरकारी क्षेत्र के बैंक	12.5	12.3	12.3	12.0	12.4	12.3
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	14.1	14.3	13.9	14.1	14.3	14.3
निजी क्षेत्र के नए बैंक	14.4	15.1	14.0	13.9	15.0	15.1
विदेशी बैंक	13.1	15.1	12.2	12.2	13.7	15.1

* : तिमाहियों के बीच तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिकीकृत।
** : तिमाही के अंत में स्थिति।
टिप्पणी : अनंतिम और अलेखा-परीक्षित आंकड़े
स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत उनके देशी परिचालनों से संबंधित परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां।

सारणी 6.12: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां

(बारंबारता बंटन)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक
	भारतीय स्टेट बैंक समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नये बैंक	
1	2	3	4	5	6
2004-05					
2 प्रतिशत तक	7	10	4	6	22
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	1	8	12	3	2
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	0	2	4	1	2
10 प्रतिशत से अधिक	0	0	0	0	4
2005-06					
2 प्रतिशत तक	7	15	11	6	26
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	1	5	7	2	0
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	0	0	2	0	0
10 प्रतिशत से अधिक	0	0	0	0	3
2006-07					
2 प्रतिशत तक	8	18	14	7	27
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	0	2	2	1	1
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	0	0	1	0	0
10 प्रतिशत से अधिक	0	0	0	0	1
2007-08					
2 प्रतिशत तक	7	19	15	7	25
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	1	1	0	1	2
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	0	0	0	0	0
10 प्रतिशत से अधिक	0	0	0	0	1
2008-09 P					
2 प्रतिशत तक	7	20	14	4	24
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	0	0	1	3	5
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	0	0	0	0	1
10 प्रतिशत से अधिक	0	0	0	0	0

अ : अनंतिम और अलेखा-परीक्षित आंकड़े

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत उनके केवल देशी परिचालनों से संबंधित परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां

VI.97 समूह के रूप में वित्तीय संस्थाओं का सीआरएआर 2008-09 के दौरान कम हो गया (सारणी 6.10)। ऐसा मुख्य रूप से पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के सीआरएआर के कमी के कारण हुआ। यद्यपि, समूह के रूप में एनबीएफसी का सीआरएआर मार्च 2008 और सितंबर 2008 के बीच कम हो गया लेकिन यह 12 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामक स्तर से सतत ऊंचा बना रहा। यद्यपि, वास्तविक और प्रतिशत दोनों ही अर्थों में 12 प्रतिशत से कम सीआरएआर रखनेवाली कंपनियों की संख्या में इस अवधि में कमी आयी लेकिन 30 प्रतिशत से अधिक का सीआरएआर रखनेवाली कंपनियों की संख्या में प्रतिशत के अर्थ में भी मामूली गिरावट थी (चार्ट VI.2)। प्राथमिक व्यापारियों के सीआरएआर में भी 2008-09 के दौरान गिरावट आयी लेकिन यह उनके न्यूनतम विनियामक स्तर से ऊंचे रहे।

सारणी 6.13: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां

(बारंबारता बंटन)

	2004-05 सं.	2005-06 सं.	2006-07 सं.	2007-08 सं.	2008-09
1	2	3	4	5	6
2 प्रतिशत तक	20	24	24	25	24
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	5	7	13	11	20
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	12	13	7	8	3
10 प्रतिशत से अधिक	18	11	10	9	6
कुल	55	55	54	53	53
निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां (प्रतिशत)	8.4	5.5	4.3	2.9	2.3

सं.: संशोधित
टिप्पणी : अनंतिम आंकड़े
स्रोत : परोक्ष चौकसी विवरणियां

सारणी 6.14 : अनुसूचित वाणिज्य बैंक - निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7
जमाराशियों की लागत	2008	5.41	5.72	5.93	3.81	5.41
	2009	5.60	6.14	6.39	4.28	5.67
लिये गये उधारों की लागत	2008	3.47	4.58	3.13	4.44	3.57
	2009	3.99	5.02	3.71	3.89	3.90
निधियों की लागत	2008	5.29	5.70	5.53	3.96	5.26
	2009	5.52	6.11	6.00	4.19	5.54
निवेश पर प्रतिलाभ	2008	6.64	6.34	6.42	7.09	6.62
	2009	6.23	5.66	6.89	6.74	6.35
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	2008	8.57	9.59	10.00	9.75	8.93
	2009	9.06	11.03	10.79	12.28	9.56
निधियों पर प्रतिलाभ	2008	7.98	8.53	8.72	8.74	8.19
	2009	8.18	9.09	9.45	9.81	8.52

टिप्पणी : 1. अनंतिम आंकड़े।
2. जमाराशियों की लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज/जमाराशियां।
3. लिए गए उधारों की लागत = लिए गए उधारों पर प्रदत्त ब्याज/लिए गये उधार।
4. निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज + लिए गए उधारों पर प्रदत्त ब्याज)/(जमाराशियां +लिए गए उधार)।
5. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / अग्रिम ।
6. निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेशों पर अर्जित ब्याज/निवेश।
7. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर प्रतिलाभ + निवेशों पर प्रतिलाभ)/(निवेश + अग्रिम)
8. 2009 के अनुपातों में 3 बैंकों के आंकड़े शामिल नहीं हैं - तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, एबीएन एमरो बैंक और बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया क्योंकि इन बैंकों के वार्षिक लेखे हमें अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

सारणी 6.15 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनात्मक परिणाम - महत्त्वपूर्ण अनुपात

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	2007-08	2008-09
1	2	3
1 कुल आय (i+ii)	3,55,505	4,49,065
(i) ब्याज आय (ब्याज कर को घटाकर)	2,96,289	3,74,995
(ii) ब्याजेतर आय	59,216	74,069
2 कुल व्यय	2,74,924	3,41,604
(i) ब्याज व्यय	1,98,721	2,53,937
(ii) परिचालन व्यय	76,202	87,667
3 प्रावधान एवं कर पूर्व आय (ईबीपीटी)	80,197	1,07,299
4 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	39,305	56,494
5 करोत्तर लाभ	40,892	50,805
	कुल आस्तियों से प्रतिशत के रूप में	
1 कुल आय (i+ii)	8.62	9.05
(i) ब्याज आय (ब्याज कर को घटाकर)	7.18	7.56
(ii) ब्याजेतर आय	1.44	1.49
2 कुल व्यय	6.67	6.89
(i) ब्याज व्यय	4.82	5.12
(ii) परिचालन व्यय	1.85	1.77
3 प्रावधान एवं कर पूर्व आय (ईबीपीटी)	1.94	2.16
4 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	0.95	1.14
5 करोत्तर लाभ	0.99	1.02

टिप्पणी : अनंतिम और अलेखा-परीक्षित आंकड़े
स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत केवल उनके देशी परिचालनों से संबंधित परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां

आस्ति गुणवत्ता

VI.98 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियों तथा निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात 2008-09 के दौरान वस्तुत: अपरिवर्तित रहा जिसका श्रेय सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जाता है (सारणी 6.11)। तथापि, विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्रों के नए बैंकों के लिए इस अनुपात में विशेष रूप से सितम्बर 2008 के बाद महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो वैश्विक वित्तीय स्थिति में गिरावट के बाद इन बैंक समूहों की आस्ति गुणवत्ता में क्षरण को दर्शाता है। वास्तविक अर्थों में, चूंकि कतिपय अग्रिमों को पुनर्संरचित करने के लिए बैंकों को दी गयी कतिपय छूटों के बावजूद 2008-09 के दौरान सकल और निवल दोनों ही अनर्जक आस्तियां बढ़ीं, अतः बैंकों को आस्ति गुणवत्ता में बेहतर जोखिम प्रबंध करने और भविष्य में होनेवाली किसी भी प्रकार की फिसलन से बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2008-09 में 9 बैंकों की निवल अनर्जक आस्तियां निवल अग्रिमों से 2 प्रतिशत अधिक थीं (सारणी 6.12)। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता वर्ष के दौरान सतत बढ़ती रही। 53 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में से 44 का

सारणी 6.16: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनात्मक परिणाम, 2008-09
(अवधि के दौरान अनुपातों में वृद्धि दर्शाने वाले बैंकों की संख्या)

कुल आस्तियों के प्रति अनुपात	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	सभी बैंक
	भारतीय स्टेट बैंक समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नये बैंक		
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल आय	7	16	12	7	14	56
(i) ब्याज आय	7	18	13	7	12	57
(ii) ब्याजेतर आय	3	13	11	3	16	46
2. कुल व्यय	7	17	13	7	10	54
(i) ब्याज व्यय	7	17	13	6	10	53
(ii) परिचालन व्यय	1	6	10	4	13	34
3. प्रावधान एवं कर पूर्व आय (ईबीपीटी)	6	14	10	6	19	55
4. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	6	14	10	7	21	58
5. कर पूर्व लाभ	5	6	6	5	15	37

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम और अलेखा-परीक्षित हैं।
स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत केवल उनके देशी परिचालनों से संबंधित परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां

निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 5 प्रतिशत या कम था (सारणी 6.13)।

आय और लाभप्रदता संकेतक

VI.99 जहां 2008-09 में सभी बैंक समूह के लिए जमाराशियों और निधियों की लागतें बढ़ी वहीं क्रेडिट पर प्रतिलाभ तथा निधियों पर पर प्रतिलाभ में भी वृद्धि दर्ज कर दी गयी (सारणी 6.14)।

VI.100 लाभप्रदता के मापन के अर्थ में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कार्यनिष्पादन इस आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं हुआ था क्योंकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान ऊंचा था (सारणी 6.15)। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याजेतर आय लगभग 25 प्रतिशत बढ़ी। आय की वृद्धि व्यय की वृद्धि को ऑफसेट करने की मात्रा के बराबर से अधिक रही और प्रावधानीकरण में इस प्रकार वृद्धि हुई जिससे प्रावधानीकरण और करों से पहले लाभ (कुल आस्तियों से प्रतिशत के रूप में) में भी वर्ष के दौरान वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान कुल 79 बैंकों में से 55 ने प्रावधानों और कराधान से पूर्व आय में वृद्धि दर्ज की जबकि 37 ने प्रतिलाभ में वृद्धि दर्ज की (सारणी 6.16)। 2008-09 के दौरान अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ बढ़े (सारणी 6.17)।

सारणी 6.17 : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के परिचालनात्मक परिणाम - महत्त्वपूर्ण अनुपात

(कुल आस्तियों से प्रतिशत के रूप में)

मद	2007-08	2008-09
1	2	3
1. कुल आय	7.0	7.9
(i) ब्याज आय	6.4	7.0
(ii) ब्याजेतर आय	0.6	0.8
2. कुल व्यय	5.7	6.4
(i) ब्याज व्यय	4.1	4.7
(ii) ब्याजेतर व्यय	1.6	1.7
3. प्रावधान एवं कर पूर्व आय	1.3	1.5
4. कर (यदि कोई हो) के लिए प्रावधान	0.5	0.3
5. करोत्तर निवल लाभ	0.8	1.2

अनंतिम आंकड़े
स्रोत: परोक्ष चौकसी विवरणियां

बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता

ब्याज दर जोखिम

VI.101 मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा सामना की जा रही ब्याज दर जोखिम यद्यपि कुल निवेशों में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संविभाग के बड़े हिस्से के कारण कमजोर रही, लेकिन अभी भी अल्पावधि और दीर्घावधि प्रतिलाभों के बीच बढ़ते जा रहे स्प्रेडों और सामान्यतः एचटीएम संविभाग निवेशों के ज्यादा अवधि वाले बांडों के कारण कुछ जोखिम अभी भी बनी हुई है। यद्यपि, सरकारी प्रतिलाभ घटते जा रहे हैं, भारी राजकोषीय घाटे और स्फीतिकारी दबावों की प्रत्याशाएं इस

गिरावट को पलट रही हैं। एआइएफआइ ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील है क्योंकि उनकी आस्तियों का एक बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में है और ब्याज दर में वृद्धि से होनेवाली हानियों को अवशोषित करने के लिए उनके पास उपलब्ध कुशन सीमित है।

करेंसी जोखिम

VI.102 वित्तीय वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही के अंत तक निर्यातों में गिरावट चालू खाता शेष में क्षरण और कमजोर होते कच्चे तेल के मूल्य ने रुपए को कमजोर बनाना जारी रखा। उनके सांकेतिक विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के कारण वाणिज्य बैंक करेंसी जोखिम से प्रभावित नहीं। फिर भी, उनके पास रातभर की स्थिति कम है। मौजूदा परिदृश्य दर्शाता है कि इस वैश्विक संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की आघात सहने की क्षमता विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों को आकर्षित कर रही है जिसके साथ इक्विटी बाजार के अवसर भी जुड़े हुए हैं। रुपए गिरते हुए मूल्य को रोकने की दिशा में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अपने विदेशी ग्राहकों की ओर से बैंकों के हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र करेंसी जोखिम पैदा कर सकते हैं जिसकी निगरानी करने की आवश्यकता है।

क्रेडिट जोखिम

VI.103 चूंकि ये संकट निधियन की अन्य मोर्चों पर बना रहा, वाणिज्यिक क्षेत्रों ने घरेलू क्रेडिट आपूर्ति का मुंह ताकना जारी रखा। नीतिगत दरों में कटौतियों, विवेकसम्मत मानदण्डों में ढील, पुनर्संरचना, नैतिक आग्रह जैसे रिज़र्व बैंक द्वारा बढ़ाए गए कदमों ने वाणिज्यिक बैंकों को ज्यादा उधार देने के लिए शक्ति प्रदान की। तथापि, इसने भी क्रेडिट जोखिम के बारे में भी चिंताएं जारी की और यह बैंक की आस्ति-गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल तुलनपत्र आस्तियों के प्रतिशत के रूप में बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजर नीचे आ रहे हैं और सांकेतिक रूप से मूल धन के अर्थ में राशियां तुलनपत्र आस्तियों के संबंध में उनके कुल के दो गुने से ज्यादा सीमांत रूप से जिम्मेदार हैं। यह गिरावट उस गिरावट की तुलना में महत्वपूर्ण है जो जून 2008 में चार गुने से ज्यादा आंकड़ों में थी। अधिकांश डेरिवेटिवों के सौदे काउंटर पर हुए हैं और अधिकांशतः वे केवल कुछ विदेशी बैंकों तक ही सीमित हैं।

चलनिधि जोखिम

VI.104 वर्ष 2008-09 की पहली तीन तिमाहियों के साथ तुलना करने पर पिछली तिमाही में चलनिधि के संबंध में कुछ सुगमता दिखाई दी जो रिज़र्व बैंक के मौद्रिक सुगमता लाने और चलनिधि बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की शृंखला से संभव हुई। बैंक क्रेडिट के लिए मांग में अतिरिक्त दबाव के बावजूद वाणिज्य बैंकों ने सावधानीपूर्वक पूंक-पूंक कर कदम उठाने और अपने पास चलनिधि रखने को वरीयता दी। पिछले तिमाही से बैंकिंग प्रणाली आधिक्यवाली अवस्था में पुनः वापस आ गई है। स्थावर संपदा और बुनियादी संरचना क्षेत्रों से दीर्घावधिक क्रेडिट की भारी मांग से बैंकों का चलनिधि प्रबंधन कठोर हो रहा है। मंदी की सतत स्थितियों ने भी निधीयन और सामायिकता की जोखिम और पैदा की हैं। निधीयन जोखिम जमाराशियों के अप्रत्याशित आहरण से पैदा होती है, विशेष रूप से थोक जमाराशियों के आहरण से। चलनिधि सामयिकता का जोखिम तब पैदा होता है जब प्रत्याशित नकद अंतर्प्रवाह में चूक होती है। यह वर्तमान में आधिक्य की स्थिति होने के बावजूद बैंकों द्वारा बड़े ध्यानपूर्वक चलनिधि प्रबंधन करने की मांग करता है।

VI.105 इस प्रकार गंभीर वैश्विक संकट की महामारी से निपटने में रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की प्रभावशालिता की परीक्षा 2008-09 में हुई। तथापि, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सभी वित्तीय चेतावनी संकेतकों ने मार्च 2009 के अंत में स्थिरता और शक्ति के संकेत दर्शाए। ऐसे समय में न केवल प्रत्येक बैंक न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा के ऊपर रहा बल्कि पूंजी की गुणवत्ता भी ऊंची थी जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि टीयर I पूंजी स्वयं ही बैंकिंग प्रणाली के लिए 9.0 प्रतिशत थी। फिर भी, 2008-09 में सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप सकल अनर्जक आस्तियों में गिरावट आयी जबकि लाभप्रदता संकेतकों (अर्थात आरओई और आरओए) में और सुधार आया। तनाव परीक्षण के परिणामों से भी पता चला कि भारतीय बैंक संभावित अत्यंत आघात को सहने की क्षमता रखते हैं। जब वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में भारतीय विनियामक संरचना पर एक पुनर्दृष्टि डालनी आवश्यक हो गयी थी, सीएफएसए द्वारा एक बृहत स्वमूल्यांकन किया गया था और इस समिति के निष्कर्षों ने चरम आघातों के प्रति भारतीय बैंकिंग प्रणाली की आघात सहने की क्षमता को पुष्ट किया।

VI.106 वित्तीय प्रणाली की इस स्थिरता के जिम्मेदार प्रमुख कारक सुदृढ़ विनियामक व्यवस्था और कारगर पर्यवेक्षी तंत्र थे। बैंकों की सुरक्षा,सुदृढ़ता और समर्थता का मूल्यांकन करते समय वैयक्तिक और क्षेत्र दोनों ही स्तरों पर बैंकों की जोखिम प्रोफाइल और प्रणालीगत जोखिम संभावना का भी मूल्यांकन किया जाता है। पूरी संस्थाओं/विभिन्न आर्थिक खंडों/क्षेत्रों के बीच भारी असंतुलनों के बढ़ने के किसी भी लक्षण के साथ-साथ जोखिमों का बोध जो छूत की तरह फैल सकता है, के साथ उपलब्ध विवेकसम्मत तथा अन्य विनियामक और पर्यवेक्षी उपायों की कठोरता बढ़ा करके कठोरता से निपटा जाता है। जब कभी आवश्यक होता है तब विनियामक प्रतिबंधों और दंडों के साथ-साथ प्रावधान, जोखिम भार, लक्ष्यित मूल्यांकन, विशेष पर्यवेक्षी समीक्षा जैसे अनेक उपाय किए जाते हैं। साथ ही सीआरएआर, निवल अनर्जक आस्तियां और आस्तियों पर प्रतिलाभ जैसे तीन मानदंडों पर आधारित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रणाली भी मौजूद है।

VI.107 सितंबर 2008 में जब यह संकट चरम बिंदु पर पहुंच गया तो देशी और विदेशी करेंसी चलनिधि, दोनों के प्रावधान के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा रिज़र्व बैंक ने पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रति-चक्रीय जोखिम भारों, प्रावधानीकरण अपेक्षाओं और आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों को विवेकसम्मत रूप से भी बदला और इन सभी ने मिलकर आर्थिक मंदी के दौरान क्रेडिट वृद्धि में तेज गिरावट से बचने के लिए स्थितियां पैदा कीं। प्रारंभिक धारणा के ठीक विपरीत यह स्थिति बनी कि चलनिधि समस्याएं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के केवल एक छोटे से वर्ग तक ही सिमटकर रह गयीं। यह समस्या चलनिधि बढ़ाने के उचित उपायों के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा तेजी से दूर कर दी गयी। विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना को संरक्षित रखने तथा और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक वैश्विक वित्तीय संकट से मिलने वाले सबकों की सतत समीक्षा करने के साथ-साथ प्रचक्रीयता, जोखिम कवरेज़, बैंक पूंजी की गुणवत्ता, क्रेडिट रेटिंग, तनाव परीक्षणों और चलनिधि प्रबंधन और सीमापारीय पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षी सहयोग से संबंधित उभरने वाले अन्य मुद्दों, बड़े और जटिल बैंकों की निगरानी तथा प्रणालीगत स्थिरता हेतु विनियमन और पर्यवेक्षण की संभावनाएं बढ़ाने के संबंध में बासेल II ढांचे के संदर्भ में उभरने वाले दृष्टिकोणों की भी सतत समीक्षा करेगा। 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों सहित सभी भारतीय बैंक बासेल II के सरल दृष्टिकोणों को अपना चुके है और इस प्रकार वे प्रत्येक बैंक की पूंजी आवश्यकताओं तथा पूंजी पर्याप्तता का इसके जोखिम स्वरूप की तुलना में अनुमान लगाने तथा इसके अंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन के पद्धतियों के मानकों के लिए बासेल II के स्तंभ 2 के अधीन एसआरईपी के अधीन होंगे।